

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2014/चैत्र 13, 1936

No. 196]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2014/CHAITRA 13, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. 266 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (ज) और उपधारा (3), धारा 381 की उपधारा (1) के खंड (क) और उपधारा (3), धारा 385, धारा 386 के खंड (क), धारा 389 और धारा 469 के साथ पठित धारा 390 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 अथवा इन नियमों के अधीन आने वाले विषयों पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन विहित किसी अन्य नियम को अधिकांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम 01 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "उपाबंध" से इन नियमों से उपाबद्ध उपाबंध अभिप्रेत है;

(ग) अधिनियम की धारा 2 के खंड (42) के प्रयोजन के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक मोड" से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आधारित कार्य अभिप्रेत है भले ही मुख्य सर्वर भारत में संस्थापित हो या नहीं, और इसमें निम्नलिखित शामिल है, चाहे ये कार्य ई-मेल, मोबाइल उपकरणों, सोशल मीडिया, क्लाउड कम्प्यूटिंग, दस्तावेज प्रबंधन, स्वर अथवा आंकड़ा संप्रेषण या अन्यथा तरीके से किया गया हो, किन्तु, यह उन्हीं तक सीमित नहीं है-

- (i) संव्यवहार से संव्यवहार और उपभोक्ता संव्यवहार से अंतरण, आंकड़ा अंतर्परिवर्तन और अन्य डिजिटल आपूर्ति संव्यवहार;
- (ii) भारत में अथवा भारतीय नागरिकों से जमा अथवा प्रतिभूतियों में अभिदान स्वीकार करने का प्रस्ताव करना;
- (iii) वित्तीय निपटान, वेब आधारित विपणन, परामर्श और संव्यवहार सेवाएं, डाटाबेस सेवाएं और उत्पाद, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन;
- (iv) ऑनलाइन सेवाएं जैसे टेलीमार्केटिंग, टेलीकम्युटिंग, टेलीमेडीसिन, शिक्षा और सूचना अनुसंधान; और
- (v) सभी संबद्ध आंकड़ा संचार सेवाएं;
  - (घ) "फीस" से कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविहित फीस अभिप्रेत है;
  - (ङ) "प्ररूप" अथवा "ई-प्ररूप" से इन नियमों के उपाबंध में दिया प्ररूप अभिप्रेत है जिसका प्रयोग उससे संबंधित मामले के लिए किया जाएगा;
  - (च) "अनुसूची" से अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;
  - (छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों के प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देशन) नियम, 2014 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः इन अधिनियमों या उक्त नियम में उनके हैं।

3. विदेशी कंपनियों द्वारा निदेशकों और सचिव से संबंधित विशिष्टियां रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना - (1) प्रत्येक विदेशी कंपनी भारत में अपने संव्यवहार स्थान की स्थापना के तीस दिन के भीतर, अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां के अतिरिक्त ऐसी कंपनी के निदेशकों और सचिव की सूची भी रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराएगी।

(2) विदेशी कंपनी के निदेशकों और सचिव अथवा समतुल्य (जिस नाम से भी जाना जाता हो) की सूची में, ऐसी सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए, निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्-

- (क) व्यक्ति का पूरा नाम और उपनाम;
- (ख) यदि पूर्व में कोई नाम है तो पूरा नाम अथवा उपनाम;
- (ग) पिता का नाम अथवा माता का नाम और पति/पत्नी का नाम;
- (घ) जन्म तारीख;
- (ङ) निवास का पता;
- (च) राष्ट्रीयता;
- (छ) यदि वर्तमान राष्ट्रीयता उसकी मूल राष्ट्रीयता नहीं है तो मूल राष्ट्रीयता;
- (ज) पासपोर्ट संख्या, जारी होने की तारीख और जारी करने वाले देश का नाम (यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पासपोर्ट हैं तो सभी पासपोर्टों का ब्यौरा देना होगा);
- (झ) आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन), यदि लागू हो;
- (ञ) पेशा, यदि कोई हो;

- (ट) क्या किसी अन्य भारतीय कंपनी में निदेशक पद धारण करते हैं (यदि निदेशक पद धारण करते हो तो निदेशक पहचान संख्या (डिन), कंपनी का नाम और कारपोरेट पहचान संख्या(सीआईएन));
- (ठ) उनके द्वारा धारित अन्य निदेशक पद ;
- (ड) सदस्यता संख्या (केवल सचिव के लिए); और
- (ढ) ई-मेल आई-डी ।

(3) कोई विदेशी कंपनी भारत में अपने संब्यवहार स्थान की स्थापना के तीस दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा उपबंधित ऐसी फीस और धारा 380 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार विदेशी कंपनी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्ररुप एफसी-1 फाइल करेगा और यह आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम विनियमों के अधीन अनुमोदन की सत्यापित प्रति तथा भारत में संब्यवहार स्थान की स्थापना के लिए ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा अपेक्षित अन्य विनियामकों, यदि कोई हो, के अनुमोदनों की सत्यापित प्रति द्वारा समर्थित होगा अथवा ऐसी विदेशी कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि की इस आशय की घोषणा द्वारा समर्थित होगा कि ऐसा कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ।

(4) जहां धारा 380 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रस्तुत दस्तावेज में कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा उद्भूत होता है वहां विदेशी कंपनी ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविहित फीस सहित प्ररुप एफसी-2 में परिवर्तन के ब्यौरों का विवरण रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

4. **विदेशी कंपनी का वित्तीय विवरण** - (1) प्रत्येक विदेशी कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने भारतीय संब्यवहार प्रचालनों का वित्तीय विवरण अनुसूची-III के अनुसार या उसके अनुरूप तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:-

- (i) अधिनियम की अध्याय IX के उपबंधों के अनुसार उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज अर्थात् कंपनियों का लेखा;
- (ii) मूल विदेशी कंपनी द्वारा अपने देश में उस समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन उसके निगमन वाले देश में विहित प्राधिकारी के समक्ष यथा प्रस्तुत अद्यतन समेकित वित्तीय विवरणों की प्रतियों से संबंधित दस्तावेज:

परंतु यह कि जहां ऐसे दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में नहीं हैं वहां उनका अंग्रेजी भाषा में प्रमाणित अनुवाद संलग्न किया जाएगा:

परंतु यह और भी कि जहां केंद्रीय सरकार ने किसी विदेशी कंपनी अथवा विदेशी कंपनियों के किसी वर्ग के लिए विभिन्न दस्तावेजों से छूट दी है अथवा विनिर्दिष्ट किया है वहां यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे;

(iii) उप नियम (2) के अनुसार उपाबंधित अथवा संलग्न किए जाने वाले यथा अपेक्षित अन्य दस्तावेज।

(2) प्रत्येक विदेशी कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल किए जाने हेतु अपेक्षित वित्तीय विवरण के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करेगी; अर्थात्:-

(क) संबंधित पक्षकार के कारबार का विवरण-जिसमें निम्नलिखित होंगे: ,

(i) भारत में ऐसे व्यक्ति का नाम जो विदेशी कंपनी अथवा ऐसी विदेशी कंपनी की किसी अनुषंगी कंपनी अथवा होल्डिंग कंपनी अथवा ऐसी कोई फर्म जिसमें ऐसी विदेशी कंपनी अथवा इसकी कोई अनुषंगी कंपनी अथवा होल्डिंग कंपनी भागीदार हो जिसे अधिनियम की धारा 2 के खंड (76) के अर्थान्तर्गत संबंधित पक्ष माना जाए;

(ii) ऐसे नातेदारी की प्रकृति;

(iii) संब्यवहार का विवरण और प्रकृति;

- (iv) वर्ष के दौरान खाता खोलते समय, बंद करते समय ऐसे संव्यवहार की राशि, वर्ष के दौरान उच्चतम और न्यूनतम शेष तथा ऐसे संव्यवहार के संबंध में किए गए उपबंध (यदि कोई हो)
- (v) ऐसे संव्यवहार का कारण;
- (vi) ऐसे संव्यवहार का दोनों पक्षकारों पर भौतिक प्रभाव;
- (vii) संबद्ध पक्षकारों से या को बकाया के संबंध में बट्टे में डाली गई अथवा वापस लिखी गई राशि;
- (viii) इस आशय की घोषणा कि ऐसा संव्यवहार यथोचित दूरी से किया गया है; और
- (ix) वित्तीय प्रभाव को समझने के लिए आवश्यक संव्यवहार के कोई अन्य ब्यौरे;
- (ख) लाभ प्रत्यावर्तन विवरण, जिसमें निम्नलिखित होंगे ,
- (i) वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित लाभ की राशि;
  - (ii) प्रत्यावर्तन के प्राप्तकर्ता;
  - (iii) प्रत्यावर्तन प्ररूप;
  - (iv) प्रत्यावर्तन की तारीखें;
  - (v) लाभार्थी के आवास से भिन्न अन्य क्षेत्राधिकारी को किए गए प्रत्यावर्तन का ब्यौरा;
  - (vi) प्रत्यावर्तन का तरीका; और
  - (vii) भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य प्राधिकारी का अनुमोदन यदि कोई हो ।
  - (viii) भारत में विदेशी कंपनी के व्यवसाय का स्थान और भारत के बाहर विदेशी कंपनी की होल्डिंग, अनुषंगी तथा एसोशिएट कंपनी सहित कोई अन्य संबद्ध पक्ष के बीच किसी निधि के अंतरण के संबंध में निधि अंतरण (लाभांश, यदि कोई हो, सहित) के विवरण में निम्नलिखित होंगे:-
- (i) ऐसे अंतरण की तारीख;
  - (ii) अंतरित अथवा प्राप्त निधि की राशि;
  - (iii) निधि की प्राप्ति अथवा अंतरण का तरीका;
  - (iv) ऐसी प्राप्ति अथवा अंतरण का प्रयोजन; और
  - (v) भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य प्राधिकारी का अनुमोदन, यदि कोई हो ।
- (3) इस नियम में अंतर्विष्ट दस्तावेज, दस्तावेजों से संबंधित विदेशी कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा:
- परंतु यह कि रजिस्ट्रार, किसी विशेष कारण से, और संबंधित विदेशी कंपनी द्वारा लिखित में आवेदन करने पर उक्त अवधि को अधिकतम तीन मास के लिए बढ़ा सकता है।
5. विदेशी कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा – (1) प्रत्येक विदेशी कंपनी धारा 381 की उपधारा (1) के खंड (क) और नियम 4 की अपेक्षानुसार भारतीय संव्यवहार प्रचालनों के संबंध में तैयार किए गए अपने लेखा की भारत में पेशावत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा पेशावत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी फर्म अथवा सीमित दायित्व भागीदारी से लेखापरीक्षा करवाएगा।
- स्पष्टीकरण – इस उप नियम के प्रयोजन के लिए “चार्टर्ड अकाउंटेंट”, “फर्म” और सीमित दायित्व भागीदारी के अर्थ क्रमशः इस अधिनियम और सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में दिए हुए अर्थ हैं।
- (2) अध्याय X अर्थात् लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियम, आवश्यक परिवर्तन सहित, जहां तक लागू हो, विदेशी कंपनी पर लागू होंगे।

6. विदेशी कंपनी के संव्यवहार स्थानों की सूची.— प्रत्येक विदेशी कंपनी तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के अधीन यथा उपबंधित फीस सहित प्ररूप एफसी-3 में भारत में विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित सभी व्यवसाय स्थानों की एक सूची के साथ वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी।
7. वार्षिक विवरण.—प्रत्येक विदेशी कंपनी अपने वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा उपबंधित फीस के साथ प्ररूप एफसी-4 में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय अंतर्विष्ट विशिष्टियों के साथ वार्षिक विवरण तैयार और रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल करेगी।
8. कार्यालय जहां दस्तावेज सौंपा जाएगा और दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण हेतु फीस – (1) किसी विदेशी कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को सौंपे जाने वाला अपेक्षित दस्तावेज नई दिल्ली के अधिकारिता वाले रजिस्ट्रार को सौंपा जाएगा, और अधिनियम के अध्याय XXII अर्थात् भारत के बाहर निगमित कंपनी और इन नियमों में रजिस्ट्रार के संदर्भ का तदनुसार अर्थ लिया जाएगा।
- (2) विदेशी कंपनी से संबंधित किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को देय फीस कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा उपबंधित फीस होगा।
- (3) यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना संव्यवहार स्थान बंद करती है, तो वह इस तथ्य की सूचना तत्काल रजिस्ट्रार को देगी, और ऐसी सूचना देने की तारीख से रजिस्ट्रार के समक्ष कोई दस्तावेज सौंपने की कंपनी की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, बशर्ते कि भारत में इसका कोई अन्य संव्यवहार स्थान न हो।
9. प्रमाणन.—किसी विदेशी कंपनी को गठित की गई या गठन परिनिश्चित किया गया किसी चार्टर, संविधिक, ज्ञापन और अनुच्छेद अथवा अन्य उपकरण निम्नलिखित तरीके से सत्य प्रति के रूप में सम्यक रूप से सत्यापित की जाएगी –
- (1) यदि कंपनी राष्ट्रमंडल के बाहर किसी देश में निगमित है तो -
- (क) तो पूर्वोक्त प्रति को सत्य प्रति के रूप में निम्नलिखित द्वारा सत्यापित किया जाएगा -
- (i) उस सरकार का कोई पदधारी जिसकी अभिरक्षा में मूल दस्तावेज हैं; अथवा
- (ii) ऐसे देश का नोटरी (पब्लिक); अथवा
- (iii) उस कंपनी का कोई पदधारी।
- (ख) खंड (क) के उपखंड (i) में अंतर्विष्ट पदधारी का हस्ताक्षर अथवा मुहर अथवा खंड (क) के उपखंड (ii) में अंतर्विष्ट नोटरी (पब्लिक) का प्रमाण-पत्र राजनयिक और कौंसलीय ऑफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 40) के खंड 3 के अधीन इस निमित्त सशक्त राजनयिक अथवा कौंसलीय ऑफिसर, अथवा जहां ऐसा कोई पदधारी नहीं है वहां शपथ आयुक्त अधिनियम, 1889 (52 और 53 विक्टोरियन सी.10), की धारा 6 में या उक्त प्रयोजन के लिए कोई अन्य सुसंगत अधिनियम में उल्लिखित पदधारियों द्वारा प्रमाणित होगा।
- (ग) खंड (क) के उपखंड (iii) में अंतर्विष्ट कंपनी के पदधारी का प्रमाण-पत्र राजनयिक और कौंसलीय ऑफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 40) के खंड 3 के अधीन अथवा, यथास्थिति, शपथ आयुक्त अधिनियम, 1889 (52 और 53 विक्टोरियन सी.10) की धारा 3 द्वारा यथा उपबंधित शपथ दिलाने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षरित होगा और बाद वाले मामले में शपथ दिलाने वाले व्यक्ति की स्थिति शपथ आयुक्त अधिनियम, 1889 (52 और 53 विक्टोरियन सी.10), की धारा 6 में या उक्त प्रयोजन के लिए कोई अन्य सुसंगत अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी पदधारी द्वारा अधिप्रमाणित होगा।
- (2) यदि कंपनी राष्ट्रमंडल के किसी भी भाग में निगमित है तो, दस्तावेज की प्रति सत्य प्रति के रूप में निम्नलिखित द्वारा प्रमाणित होगी—
- (क) उस सरकार का कोई पदधारी जिसकी अभिरक्षा में मूल दस्तावेज हैं; अथवा
- (ख) राष्ट्रमंडल के उस भाग में कोई नोटरी (पब्लिक); अथवा
- (ग) उस कंपनी का कोई पदधारी, जिसने राष्ट्रमंडल के उस भाग में शपथ ग्रहण कराने का प्राधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण की हो।
- (3) रजिस्ट्रार को सौंपा गया कोई परिवर्तित दस्तावेज भी उपरोक्त उल्लिखित रीति में सम्यक रूप से प्रमाणित होना चाहिए।

(4) यदि कंपनी, राष्ट्रमंडल के बाहर किसी देश में निगमित है किंतु वह हेग एपोस्टाइल कन्वेंशन, 1961 का एक पक्ष है तो -

- (क) दस्तावेजों की प्रति उस सरकार के किसी पदधारी द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित की जाएगी जिसकी अभिरक्षा में मूल दस्तावेज़ रखा गया है और हेग कन्वेंशन के अनुसार सम्यक रूप से टिप्पणीकृत होगा;
  - (ख) कंपनी के निदेशकों और सचिवों की एक सूची, यदि कोई हो, भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते, जो कंपनी की ओर से सूचना स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हों, कन्वेंशन के अनुसार उनके मूल देश में सम्यक रूप से नोटरीकृत और टिप्पणीकृत होंगे;
  - (ग) संगम जापान पर हस्ताक्षर और पते तथा भारत में कंपनी रजिस्ट्रीकृत कराने वाले विदेशी नागरिकों के पहचान-पत्र, जहां अपेक्षित हों, उनके मूल देश में नोटरी के समक्ष नोटरीकृत कराए जाएंगे और उक्त हेग कन्वेंशन के अनुसार सम्यक रूप से नोटरीकृत होंगे।
10. अनुदित दस्तावेजों का प्रमाणन.—(1) विदेशी कंपनियों द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल किए जाने हेतु अपेक्षित सभी दस्तावेज़ अंग्रेजी भाषा में होंगे और जहां ऐसा कोई दस्तावेज़ अंग्रेजी भाषा में नहीं है, वहां इन नियमों में दी हुई रीति से सम्यक रूप से प्रमाणित उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न किया जाएगा।
- (2) जहां ऐसा कोई अनुवाद भारत के बाहर किया जाता है वहां इसे निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के साथ अधिप्रमाणित किया जाएगा, यदि कोई हो -
- (क) ऐसा पदधारी जिसकी अभिरक्षा में मूल प्रति हो; अथवा
  - (ख) ऐसे देश (या उस देश के किसी भाग) का नोटरी (पब्लिक) जहां वह कंपनी निगमित है:

परंतु यह कि जहां कंपनी राष्ट्रमंडल के बाहर किसी देश में निगमित है, वहां इस प्रकार प्रमाणित करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर अथवा मुहर राजनयिक और कौंसलीय ऑफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का XL) के खंड 3 के अधीन इसके लिए शक्ति प्राप्त राजनयिक अथवा कौंसलीय ऑफिसर, अथवा जहां ऐसा कोई पदधारी नहीं है वहां शपथ आयुक्त अधिनियम, 1889 (52 और 53 विक्टोरियन सी.10), की धारा 6 में या उक्त प्रयोजन के लिए कोई अन्य संगत अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट किसी पदधारी द्वारा अधिप्रमाणित होगा।

(3) जहां ऐसा अनुवाद भारत में किया जाता है वहां यह निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित होगा -

- (क) किसी उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की पात्रता रखने वाला कोई अधिवक्ता, अटॉर्नी, प्लीडर; या
- (ख) ऐसे सक्षम व्यक्ति का शपथ-पत्र जिसे रजिस्ट्रार की राय में मूल दस्तावेज़ की भाषा और अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान है।

11. प्रोस्पेक्टस के साथ उपाबंधित किए जाने वाले दस्तावेज़.—प्रोस्पेक्टस के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ उपाबंधित किए जाएंगे, अर्थात् :—

- (क) प्रोस्पेक्टस के विषय पर विशेषज्ञ के रूप में किसी व्यक्ति से अपेक्षित कोई सहमति;
- (ख) प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंधक की नियुक्ति के लिए संविदाओं की प्रति और यदि संविदा लिखित में नहीं है तब, उसकी विशिष्टियां देते हुए एक जापन;
- (ग) किसी अन्य भौतिक संविदाओं की प्रति, जो संव्यवहार के सामान्य प्रचालन में नहीं की जाती हैं किन्तु पूर्ववर्ती दो वर्षों में की गई हैं;
- (घ) हामीदारी करार की एक प्रति; और
- (ङ) यदि प्रोस्पेक्टस पर निदेशकों के सम्यक रूप से प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से हस्ताक्षर किया गया है तो मुख्तारनामे की प्रति।

12. विदेशी कंपनी के रूप में अनुचित उपयोग अथवा विवरण हेतु कार्रवाई.—यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विदेशी कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी नाम अथवा उपनाम अथवा विवरण के अधीन किसी तरह का व्यापार या संव्यवहार करता है तो वह व्यक्ति या उस व्यक्ति समूह का प्रत्येक सदस्य, जब तक कि इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विदेशी कंपनी के रूप में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत न हो, अधिनियम की धारा 210 के अधीन अन्वेषण करने के लिए उत्तरदायी होगा और अन्वेषण के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

13. भारतीय निक्षेपागार रसीद (आईडीआर) जारी करना.—(1) धारा 390 के प्रयोजन के लिए भारत के बाहर निगमित अथवा निगमित की जाने वाली कोई कंपनी, चाहे उस कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'जारीकर्ता कंपनी' कहा गया है) ने भारत में संव्यवहार स्थान स्थापित किया हो या नहीं किया हो अथवा करेगी या नहीं करेगी, तब तक भारतीय निक्षेपागार रसीद (आईडीआर) जारी नहीं करेगी जब तक ऐसी कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किन्ही निदेशों के अतिरिक्त इस नियम में उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं करती।

**स्पष्टीकरण.**—इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'भारतीय निक्षेपागार रसीद' (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आईडीआर' कहा गया है) से भारत में देशी निक्षेपागार द्वारा सृजित और ऐसे निक्षेपागार रसीद जारी करने वाली भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी द्वारा प्राधिकृति निक्षेपागार रसीद के रूप में कोई उपकरण अभिप्रेत है।

(2) जारीकर्ता कंपनी आईडीआर जारी नहीं करेगा जब तक कि—

(क) उसकी जारी पूर्व प्रदत्त पूंजी और मुक्त निक्षेप कम से कम 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर न हो और अपने मूल देश में (पिछले तीन वर्षों के दौरान) इसका न्यूनतम औसत बाजार रजिस्ट्रीकरण कम से कम 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर न हो;

(ख) वह अपने मूल अथवा गृह देश में (ऐसी कंपनी के निगमन का देश) लगातार पिछले कम से कम तीन वर्षों से किसी स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार कर रही हो;

(ग) उसका अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप विगत पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों के लिए संवितरणीय लाभ का स्थापित अभिलेख हो;

(घ) यह ऐसे अन्य पात्रता मानकों को पूरा करता है जो इस निमित्त भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित हों।

(3) जारीकर्ता कंपनी आईडीआर जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगी :

(क) जारीकर्ता कंपनी अपने निगमन के देश से समुचित प्राधिकारियों से पूंजी या आईडीआर जारी करने से संबंधित सुसंगत विधियों के अधीन, जहां अपेक्षित हो, आवश्यक अनुमोदन या छूट अभिप्राप्त करेगा।

(ख) जारीकर्ता कंपनी आईडीआर जारी करने के साथ-साथ निर्गमन आकार के लिए आवेदन पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से इस आशय की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करेगी।

(ग) खंड (ख) के अधीन आईडीआर निर्गमन की प्रारंभिक तारीख से कम से कम नब्बे दिन पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को (प्रारूप प्रोस्पेक्ट्स के साथ) आवेदन और ऐसी फीस और सूचना दी जाएगी जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु यह कि जारीकर्ता कंपनी किसी वाणिज्यिक बैंककार के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में खंड (ख) के अधीन आवेदन के साथ सम्यक तत्परता रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी।

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड खंड (ग) के अधीन आवेदन प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर आगे ऐसी कोई सूचना तथा स्पष्टीकरण, जैसा कि वह उक्त आवेदन के निपटान के लिए आवश्यक समझे, मांगेगा और ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त होने के तीस दिन के अंदर आवेदन का निपटान करेगा:

परंतु यह कि आवेदन अथवा प्ररूप प्रोस्पेक्ट्स प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर यदि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड प्ररूप प्रोस्पेक्ट्स में किए जाने वाले कोई परिवर्तन विनिर्दिष्ट करता है तो यह प्रोस्पेक्ट्स तब तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अथवा कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल नहीं की जाएगी जब तक उसमें उक्त परिवर्तन जोड़ न लिए जाएं।

(ङ) जारीकर्ता कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा खंड (ख) के अधीन आवेदन को अनुमोदन दिए जाने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को निर्गमन फीस, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए, का भुगतान करेगी।

(च) जारीकर्ता कंपनी, कंपनी के दो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जिनमें से एक पूर्णकालिक निदेशक और दूसरा मुख्य वित्तीय पदधारी होगा, द्वारा प्रमाणित प्रोस्पेक्ट्स फाइल करेगी जिसमें बोर्ड के उस संकल्प की विशिष्टियों के ब्यौरे होंगे जिसके द्वारा इस प्रकार का निर्गमन करने से पहले भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा कंपनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया था :

परंतु यह कि कंपनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को उक्त प्रोस्पेक्ट्स फाइल करते समय भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन की एक प्रति और जारीकर्ता कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को भुगतान किए गए फीस का विवरण भी संलग्न किया जाए।

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा कंपनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को फाइल किए जाने वाले प्रोस्पेक्ट्स में उप नियम (8) में यथा विहित विवरण दिए जाएंगे और इस पर जारीकर्ता कंपनी के सभी पूर्णकालिक निदेशकों के और मुख्य वित्तीय पदधारी के हस्ताक्षर होंगे।

(ज) जारीकर्ता कंपनी आईडीआर के निर्गमन के प्रयोजन के लिए एक विदेशी अभिरक्षक बैंक, एक देशी निक्षेपागार और एक वाणिज्य बैंककार नियुक्त करेगी।

(झ) जारीकर्ता कंपनी आईडीआर निर्गमन की हामी भरने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हामीदार नियुक्त करेगी।

(ञ) जारीकर्ता कंपनी विदेशी अभिरक्षक बैंक को अधःस्थ इक्विटी शेयर प्रदान करेगी अथवा प्रदान करने का माध्यम बनेगी और उक्त बैंक आईडीआर के निर्गमन के लिए देशी निक्षेपागार प्राधिकृत करेगा।

(ट) जारीकर्ता कंपनी भारत में देश भर के व्यापार स्थलों वाले एक अथवा अधिक स्टॉक एक्सचेंजों से सैद्धांतिक सूचीकरण अनुमति प्राप्त करेगी।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए,

(i) 'देशी निक्षेपागार' से प्रतिभूतियों का ऐसा अभिरक्षक अभिप्रेत है जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत है और भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गमन करने के लिए जारीकर्ता कंपनी द्वारा प्राधिकृत है।

(ii) "वाणिज्यिक बैंककार" से प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (वाणिज्यिक बैंककार) नियम, 1992 के विनियम 2 के उप विनियम (गख) में यथापरिभाषित वाणिज्यिक बैंककार अभिप्रेत हैं।



- (iii) "विदेशी अभिरक्षक बैंक" से ऐसी बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जो भारत के बाहर किसी देश में स्थापित है तथा जारीकर्ता कंपनी के उन साधारण शेयरों के लिए अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है जिनके विरुद्ध देशी निक्षेपागार के साथ अभिरक्षक व्यवस्था अथवा समझौता करके अथवा भारत में कारोबार स्थल की स्थापना करके आईडीआर निर्गमित करने का प्रस्ताव है।
- (4) वाणिज्यिक बैंककार, आईडीआर का निर्गमन करने के लिए, रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या कंपनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को निम्नलिखित दस्तावेज़ या जानकारी परिदत्त करेगा, अर्थात्:—
- (क) जारीकर्ता कंपनी का गठन करने वाली या उसके गठन को परिभाषित करने वाली लिखत;
- (ख) विधि का बल रखने वाली अधिनियमितियां या उपबंध जिनके द्वारा या जिनके अधीन जारीकर्ता कंपनी प्रभावी हुई थी, ऐसे उपबंधों की कंपनी के किसी पदधारी द्वारा अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जाए;
- (ग) यदि जारीकर्ता कंपनी ने भारत में कारबार का स्थान स्थापित कर लिया है तो भारत में उसके प्रधान कार्यालय का पता;
- (घ) यदि जारीकर्ता कंपनी ने भारत में कारबार का प्रधान स्थान स्थापित नहीं किया है तो भारत में ऐसा पता जहां उक्त लिखत, अधिनियमितियां या उपबंध या उनकी प्रतियां लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और यदि वे अंग्रेजी में नहीं हैं तो जारीकर्ता कंपनी के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा प्रमाणित उसका अनुवाद लोक निरीक्षण के लिए रखा जाएगा;
- (ङ) उस देश में जिसमें उस कंपनी का निर्गमन हुआ है, जारीकर्ता कंपनी के निर्गमन के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति;
- (च) जारीकर्ता कंपनी, विदेशी अभिरक्षक बैंक, देशी निक्षेपागार के बीच किए गए करारों की प्रतियां जो, अन्य बातों के साथ, आईडीआर के धारकों को दिए जाने वाले अधिकारों को विनिर्दिष्ट करेंगे;
- (छ) यदि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज़ या उसका कोई भाग अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो उस दस्तावेज़ या उसके भाग का अंग्रेजी में अनुवाद उस दस्तावेज़ की प्रत्येक प्रति के साथ संलग्न किया जाएगा जिसका सही होना कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और भारत में उस देश के राजदूतावास या वाणिज्यिक दूतावास के प्राधिकृत पदधारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- (5) (क) जारीकर्ता कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए कोई आवेदन प्ररूप तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि प्ररूप के साथ ऐसा ज्ञापन संलग्न न हो जिसमें विनिर्दिष्ट रूप में प्रास्पेक्टस की मुख्य बातें अंतर्विष्ट की गई हों।
- (ख) कोई भी आवेदन प्ररूप खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट ज्ञापन के बिना जारी किया जा सकेगा यदि वह आईडीआर की बाबत हामीदार करार करने के लिए आमंत्रण के संबंध में जारी किया जाता है।
- (ग) जारीकर्ता कंपनी की आईडीआरों की अभिदान के लिए प्रास्पेक्टस जिसके अधीन ऐसा कथन भी होगा जो किसी विशेषज्ञ द्वारा किया गया तात्पर्यित हो, तब तक भारत में या विदेश में परचालित, जारी या वितरित नहीं किया जाएगा जब तक यह कथन कि विशेषज्ञ ने उसके जारी किए जाने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी है और इसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और कंपनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली के प्रास्पेक्टस की गति परिदत्त किए जाने से पूर्व प्रास्पेक्टस से अपनी सहमति वापस नहीं ली है।



- (घ) अधिनियम के उपबंध प्रास्पेक्टस में गलत विवरण देने के लिए सभी दायित्वों अथवा आईडीआर में धन निवेश करने हेतु लोगों को धोखे से उकसाने के लिए दंड के लिए लागू होंगे।
- (ङ) प्रास्पेक्टस जारी करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इस नियम के किसी उपबंध के किसी अनुपालन या उसके उल्लंघन के लिए कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा/करेंगे, यदि -
- (i) ऐसे किसी विषय के उपबंध में जो प्रकट नहीं किया गया है, वह यह साबित कर देता है कि उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी; या
- (ii) ऐसे विषयों की बाबत उत्पन्न उल्लंघन, केंद्रीय सरकार अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की राय में महत्वपूर्ण नहीं था।
- (6) (क) आईडीआर धारक आईडीआरों का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, 1992 अथवा इन अधिनियमों अथवा तत्समय लागू अन्य विधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतरण कर सकेगा या देशी निक्षेपागार से मोचन करने की मांग कर सकेगा अथवा कोई व्यक्ति अधःस्व इक्विटी शेयरों का परिवर्तन करके आईडीआर पुनः निर्गमित करने को कह सकेगा।
- (ख) मोचन की दशा में, देशी निक्षेपागार विदेशी अभिरक्षक बैंक से तत्स्थानी अधःस्त साधारण शेयरों आईडीआर धारक के पक्ष में सीधे आईडीआर धारक की ओर से विक्रय किए जाने के लिए या आईडीआर धारक के नाम में जारीकर्ता कंपनी के खातों में अंतरित किए जाने के लिए निर्मुक्त कराए जाने का अनुरोध करेगा और ऐसे अनुरोध की एक प्रति सूचना के लिए जारीकर्ता कंपनी को भेजी जाएगी।
- (ग) आईडीआर धारक, किसी समय, ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे उसकी मृत्यु की दशा में उसकी आईडीआर निहित होंगी और इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप एफसी-5 का इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
- (7) (क) आईडीआर निर्गमन की आय का प्रत्यावर्तन विदेशी मुद्रा के निर्यात संबंधी तत्समय लागू विधियों के अधीन है।
- (ख) आईडीआर प्रस्ताव के माध्यम से एक वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत अधःस्त सामान्य शेयरों की संख्या निर्गमन के बाद कंपनी के सामान्य शेयरों की संख्या के 25% से अधिक नहीं होगी।
- (ग) किसी जारीकर्ता कंपनी की प्रतिभूतियों का अभिधान होते हुए भी, उसके द्वारा निर्गमित आईडीआर का भारतीय रूप में अभिधान किया जाएगा।
- (घ) इस नियम के अधीन निर्गमित आईडीआर उप नियम (3) के खंड (ट) में यथानिर्दिष्ट भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) में सूचीबद्ध होंगी और इस प्रकार की आईडीआर उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2(V) में यथापरिभाषित भारत के किसी निवासी द्वारा क्रय, धारण तथा मुक्त रूप से अंतरित की जा सकेंगी:
- परंतु यह कि किसी जारीकर्ता कंपनी द्वारा निर्गमित आईडीआर को भारत के निवासी से अन्य किसी व्यक्ति द्वारा क्रय, धारण अथवा अंतरित किया जा सकता है जिसके लिए जारीकर्ता कंपनी को इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष अनुमोदन लेना होगा अथवा इस विषय-वस्तु पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली किसी नीति अथवा दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

- (ड) प्रत्येक जारीकर्ता कंपनी निरंतर ऐसी प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी जैसा कि इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (च) जारीकर्ता कंपनी और देशी निक्षेपागार के बीच करारों में विनिर्दिष्ट रूप में आईडीआर पर लाभांशों या अन्य नियम कार्रवाइयों की प्राप्ति पर देशी निक्षेपागार उनको आईडीआर धारकों में उनके आईडीआर धारणों के अनुपात में वितरित करेगा।
- (8) प्रोस्पेक्टस अथवा प्रस्ताव पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी-

(क) साधारण सूचना

- (i) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम और पता;
- (ii) देशी निक्षेपागार, विदेशी अभिरक्षक बैंक का, भारत में उसके कार्यालय के पते के साथ, नाम और पता, वाणिज्य बैंक, निर्गमन करने के लिए हामीदार और किसी ऐसे अन्य मध्यवर्ती का नाम और पता जिसे आईडीआर के निर्गमन के संबंध में नियुक्त किया जा सकेगा;
- (i) उन स्टॉक एक्सचेंजों के नाम और पते जहां आईडीआरों को सूचीबद्ध कराने के लिए आवेदन दिए जाते हैं या दिए जाने का प्रस्ताव है;
- (iv) मिथ्या आवेदनों के लिए दंड से संबंधित उपबंध;
- (v) अधिक अभिदान के प्रतिदाय के लिए कथन या घोषणा;
- (vi) आबंटन पत्रों या प्रमाण-पत्रों या आईडीआरों के निर्गमन के बारे में अनुबंधित अवधि के भीतर घोषणा;
- (vii) निर्गमन खुलने की तारीख;
- (viii) निर्गमन बंद होने की तारीख;
- (ix) निर्गमन के बंद होने की शीघ्रतम तारीख;
- (x) वाणिज्यिक बैंककार द्वारा हामीदारों के, उनके संबंधित दायित्वों से मुक्त करने के लिए, संसाधनों की पर्याप्तता के संबंध में ऐसा करने की आवश्यकता की दशा में घोषणा;
- (xi) जारीकर्ता कंपनी द्वारा यह कथन कि आईडीआरों की निर्गमन से प्राप्त सभी धन एक पृथक देशी बैंक खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे, उस बैंक का नाम और पता तथा उस खाते की प्रकृति और संख्या जिसमें उक्त रकम जमा की जाएगी;
- (xii) आईडीआर निर्गमन की आगमों के प्रस्तावित उपयोजन का ब्यौरा।

(ख) कंपनी की पूंजीगत संरचना

जारीकर्ता कंपनी की प्राधिकृत, निर्गमित, अभिदान और समादत्त पूंजी।

(ग) निर्गमन के निबंधन

- (i) अधःस्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध आईडीआर धारकों के अधिकार;
- (ii) प्रास्पेक्टस और प्ररूपों की उपलब्धता का ब्यौरा अर्थात् तारीख, समय, स्थान, आदि;
- (iii) आईडीआरों के निर्गमन की ईप्सा करने की रकम और उसके संदाय का तरीका; और
- (iv) जारीकर्ता कंपनी और भारत में आईडीआर धारकों के लिए कोई विशेष कर सुविधाएं।

## (घ) निर्गमन की विशिष्टियां

- (i) निर्गमन के उद्देश्य;
- (ii) परियोजना की लागत, यदि कोई हो; और
- (iii) परियोजनाओं के वित्त पोषण के साधन, यदि कोई हों, जिनके अधीन संप्रवर्तकों द्वारा अभिदाय भी हैं।

## (ङ) कंपनी, प्रबंध और परियोजना

- (i) कंपनी का मुख्य उद्देश्य, इतिहास और वर्तमान व्यवसाय;
- (ii) संप्रवर्तक अथवा मूल समूह अथवा स्वामित्व समूह तथा उनकी पृष्ठभूमि:  
परंतु कि यदि कोई अभिज्ञेय संप्रवर्तक न हो, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सभी व्यक्तियों जो कंपनी के 5% अथवा अधिक साधारण शेयरपूंजी धारण करते हों, के नाम, पते और अन्य विशिष्टियां प्रकट किए जाएंगे;
- (iii) कंपनी की समनुषंगियां, यदि कोई हो;
- (iv) प्रबंध या बोर्ड की विशिष्टियां (अर्थात् कंपनी के निदेशकों, प्रबंधक, प्रबंध निदेशक या अन्य प्रधान अधिकारियों के नाम और पूरे पते);
- (v) परियोजना का अवस्थान, यदि कोई हो;
- (vi) जहां लागू होता हो, संयंत्र और मशीनरी, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, प्रौद्योगिकी आदि का ब्यौरा;
- (vii) परियोजना को कार्यान्वित करने की सूची और अब तक की गई प्रगति, यदि कोई हो;
- (viii) उत्पाद (उत्पादों) की प्रकृति, उपभोक्ता (उपभोक्तों), औद्योगिक उपयोगकर्ता;
- (ix) विधिक, वित्तीय और अन्य कमियों, यदि कोई हो, की विशिष्टियां;
- (x) निर्गमन के प्रति कोई जोखिम के कारण, यदि प्रतीत होते हों;
- (xi) वाणिज्यिक बैंककारों, विदेशी अभिरक्षक बैंक, देशी निक्षेपागार और आईडीआर के निर्गमन से सहबद्ध सभी अन्य मध्यवर्ती की सहमति; और
- (xii) सभी स्टॉक एक्सचेंज, चाहे मूल देश में हों अथवा अन्यत्र, में जारीकर्ता कंपनी की सूची, व्यापार रिकॉर्ड अथवा पृष्ठभूमि की बाबत सूचना, जैसे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

## (क) रिपोर्ट

- (i) जहां देश की विधि में, जिसमें जारीकर्ता कंपनी को निगमन किया गया है, वहां जारीकर्ता कंपनी के लेखों की वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा की अपेक्षा हो तो जारीकर्ता कंपनी, उस प्ररूप, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, में एक रिपोर्ट देगी –
- (क) प्रोसपेक्टस की तारीख से ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों की बाबत जारीकर्ता कंपनी के लेखापरीक्षा वित्तीय विवरण,
- (ख) निर्गमन खुलने की तारीख से पहले की तारीख, जो 180 दिन से कम हो, को समाप्त अवधि के संबंध में अंतरिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, यदि खंड (क) के अधीन प्रकट किए गए नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण की अंतिम तारीख और निर्गमन खुलने की तारीख में 180 दिन से अधिक का अंतर हो:

परंतु यह और कि यदि नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण की उक्त तारीख तथा निर्गमन खुलने की तारीख के मध्य 180 दिन अथवा कम का अंतर हो, तो खंड (ख) के अधीन अपेक्षा का अनुपालन माना जाएगा बशर्ते कि जारीकर्ता

कंपनी की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन के संबंध में एक विवरण, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रोस्पेक्टस में प्रकट किया जाता है:

परंतु और यह भी कि यदि जारीकर्ता कंपनी भारत के बाहर निगमित विदेशी बैंक है और जिसका नियमन बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेन्ट्स के किसी सदस्य अथवा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेक्यूरिटीज कमीशन के किसी ऐसे सदस्य द्वारा किया जा रहा है जो बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है, तो इस पैराग्राफ के अधीन की अवधि जिसके लिए नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दिए जा रहे हैं, की अंतिम तारीख से शुरु होने वाली अवधि और निर्गमन खुलने की तारीख के संबंध में अपेक्षा पूरी होगी बशर्ते संबंधित वित्तीय विवरण उक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की सीमित पुनरीक्षा रिपोर्ट पर आधारित हों।

- (ii) जहां देश की विधि, जिसमें जारीकर्ता कंपनी का निगमन हुआ है, वहां कंपनी के लेखों की वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा अपेक्षित नहीं हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की परिभाषाओं और आशय में प्रेक्टिस कर रहे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एक रिपोर्ट, उस स्वरूप में जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, देगी -
- (क) जारीकर्ता कंपनी, विशेषकर प्रोस्पेक्टस की तारीख से ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक लाभ और हानि संबंधी तथा जारीकर्ता कंपनी की आस्तियों और दायित्वों संबंधी वित्तीय विवरण और
- (ख) यदि खंड (क) के अधीन प्रकट नवीनतम वित्तीय विवरण की अंतिम तारीख और निर्गमन खुलने की तारीख के बीच का अंतर 180 दिन से अधिक है, तो तारीख, जो निर्गमन खुलने की तारीख से पूर्व 180 दिन से कम होगी, को समाप्त अवधि के अंतरिम वित्तीय विवरण रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे:

परंतु यह कि यदि नवीनतम वित्तीय विवरण की उक्त तारीख और निर्गमन खुलने की तारीख के बीच का अंतर 180 दिन अथवा कम हो तो खंड (ख) के अधीन अपेक्षा का अनुपालन उस स्थिति में माना जाएगा जिस स्थिति में जारीकर्ता कंपनी की वित्तीय स्थिति में अंतर संबंधी एक विवरण, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रोस्पेक्टस में प्रकट किया जाएगा।

- (iii) उप पैरा (i) और (ii) के अधीन निर्गमन खुलने की तारीख और रिपोर्ट देने की तारीख के बीच 120 दिन से अधिक का अंतर नहीं होगा।
- (iv) यदि आईडीआर निर्गमन के आगमों का उपयोग अन्य निगमित निकाय (निकायों) में विनिधान के लिए किया जाता है तो ऐसे निगमित निकाय (निकायों) के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाए:
- (क) निगमित निकाय का नाम और पता,;
- (ख) यथास्थिति उन निगमित निकायों की बाबत उप खंड (i) और (ii) में कथित रिपोर्टें।
- (छ) अन्य सूचना
- (i) निर्गमन के लिए न्यूनतम अभिदान।
- (ii) आईडीआर के निर्गमन में अंतर्वलित मध्यवर्तियों को संदेय फीसों और खर्चों।
- (iii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अनुपालन संबंधी घोषणा।
- (ज) दस्तावेजों का निरीक्षण

वह स्थान जिस पर ऑफर दस्तावेजों, वित्तीय ब्यौरों और उनकी संपरीक्षित रिपोर्टों का सामान्य कारबार के समय के दौरान निरीक्षण किया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या आयकर प्राधिकारियों या भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अन्य कोई सूचना।

## प्ररूप संख्या एफसी.1

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380(1)(ज)  
और कंपनी (विदेशी कंपनी पंजीकरण) नियम,  
2014 के नियम 3(3) के अनुसरण में]



विदेशी कंपनी द्वारा दायर की जाने  
की सूचना

प्ररूप की भाषा ० अंग्रेजी ० हिंदी

प्ररूप दाखिल करने हेतु अनुदेश किट देखें।

1. \*विदेशी कंपनी का नाम
2. (क) \*देश का आईएसओ कोड, जहां विदेशी कंपनी पंजीकृत है
- (ख) देश का नाम
- (ग) पंजीकरण संख्या या जीएलएन
3. विदेशी कंपनी के पंजीकृत या प्रधान कार्यालय का पूरा पता
  - \*पंक्ति I
  - पंक्ति II
  - \*शहर
  - \*राज्य
  - \*देश  \*पिन कोड
  - \*आईएसडी कोड सहित दूरभाष
  - आईएसडी कोड सहित फैक्स
  - \*विदेशी कंपनी की ई-मेल आईडी
4. (क) \*भारत में व्यवसाय के प्रमुख स्थल की स्थापना की तारीख
- (ख) \*कार्यालय का प्रकार
- अगर अन्य कोई, तो विवरण दें
- (ग) भारत में व्यवसाय के प्रमुख स्थल का पता
  - \*पंक्ति I
  - पंक्ति II
  - \*शहर
  - \*राज्य  \*पिन कोड
  - \*दूरभाष
  - फैक्स
  - \*ई-मेल आईडी
  - (घ) \*भारत में किए जाने वाले व्यवसाय कार्य की मुख्य डिवीजन

(एनआईसी 2004 में दी गई संगत उप श्रेणी और विवरण पर आधारित)

मुख्य डिजीजन का विवरण

5. भारत में व्यवसाय के अन्य स्थानों का ब्यौर) यदि कोई हो

भारत में व्यवसाय के अन्य स्थानों की संख्या

1. (i) \*स्थापना की तारीख

(ii) \*कार्यालय का प्रकार

अगर अन्य हैं, तो विवरण दें

(iii) पता

\*पंक्ति I

पंक्ति II

\*शहर

\*राज्य

\*पिन कोड

\*दूरभाष संख्या

फैक्स संख्या

\*ई-मेल आईडी

(iv) \*ऐसे स्थान पर किए जाने वाले व्यवसायिक कार्य

6. उपर्युक्त के अलावा पहले किसी मौके ( मौकों ) पर भारत में स्थापित व्यवसाय के स्थान ( स्थानों ) का ब्यौर-

व्यवसाय के स्थान (स्थानों) उल्लेख

1. (i) \*स्थापना की तारीख

(ii) \*कार्यालय प्रकार

अगर अन्य हैं, तो विवरण दें

(iii) पता

\*पंक्ति I

पंक्ति II

\*शहर

\*राज्य

\*पिन कोड

\*दूरभाष संख्या

फैक्स

\*ई-मेल आईडी

(iv) \* ऐसे स्थान पर किए जाने वाले व्यावसायिक कार्य

(v) (क) \*व्यवसाय के ऐसे स्थान को बंद करने की तारीख

(ख) \*ऐसे स्थान की विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या

7. विदेशी कंपनी को सर्व करने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया सेवा और या अन्य दस्तावेजों को सौंपने के लिए विदेशी कंपनी की ओर से स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत भारत में रह रहे एक या अधिक व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण-

\*प्राधिकृत व्यक्तियों की संख्या

प्राधिकृत व्यक्तियों के ब्यौरे

निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)

\*पति

\*आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन)

\*विदेशी कंपनी की ओर से स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत भारत में निवासी व्यक्ति का नाम-

\*पिता का नाम \*माता का नाम \*पति/पत्नी का नाम

\*पदनाम

सदस्यता संख्या (अगर सचिव हो तो)

\*राष्ट्रीयता

\*जारी करने की तारीख

अगर वर्तमान राष्ट्रीयता मूल राष्ट्रीयता नहीं हो तो,

मूल राष्ट्रीयता का उल्लेख करें

पासपोर्टों की संख्या

पासपोर्ट संख्या

जारी करने की तारीख

जारी करने वाला देश

\*व्यवसाय का प्रकार \*स्वनियोजित \*व्यावसायिक \*गृहणी \*विद्यार्थी \*कर्मचारी

व्यवसाय का क्षेत्र

अगर अन्य चुने गए, उल्लेख करें

स्थायी पता

\*पंक्ति I

पंक्ति II

\*शहर

\*राज्य/संघ शासित

\*पिन कोड

\*देश का आईएसओ कोड

देश

\*दूरभाष

फैक्स

\*ई-मेल आईडी



\*क्या स्थायी पता और वर्तमान पता एक हैं,  हां  नहीं (रेडियो बटन)

वर्तमान पता \_\_\_\_\_

\*पंक्ति I \_\_\_\_\_

पंक्ति II \_\_\_\_\_

\*शहर \_\_\_\_\_

\*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_ \*पिन कोड \_\_\_\_\_

\*देश का आईएसओ \_\_\_\_\_ देश \_\_\_\_\_

\*दूरभाष \_\_\_\_\_ फैक्स \_\_\_\_\_

\*क्या प्राधिकृत व्यक्ति मुख्तारनामा या प्रस्ताव पारित करके नियुक्त किया गया है

मुख्तारनामा  प्रस्ताव

8. किसी प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने का विवरण प्राधिकरणों की संख्या, जिनसे अनुमति ली गई \_\_\_\_\_
- i) \*प्राधिकारी का नाम \_\_\_\_\_
- ii) \*अनुमति आदेश प्राप्त करने की तारीख \_\_\_\_\_
- iii) \*आदेश संख्या \_\_\_\_\_
- iv) ऐसी अनुमति के लिए, वैधता की अवधि, यदि कोई हो \_\_\_\_\_
- v) \*अनुमति ली गई \_\_\_\_\_
- vi) नियम और शर्तों के संक्षिप्त ब्यौरे, जिसके अधीन ऐसी अनुमति दी गई है, यदि कोई हो- \_\_\_\_\_
- vii) अन्य विवरण, यदि कोई हो \_\_\_\_\_

9. (i) \*क्या यह आवेदन करते समय मूल कंपनी प्रचालन में है  हां  नहीं
- (ii) \*क्या मूल कंपनी के विरुद्ध कोई समापन प्रक्रिया लंबित है  हां  नहीं

यदि हां, तो बताएं

\_\_\_\_\_

10. विदेशी कंपनी अथवा ऐसी विदेशी कंपनी की कोई अनुषंगी या होल्डिंग कंपनी या भारत में कोई फर्म जिसमें ऐसी विदेशी कंपनी या इसकी होल्डिंग या अनुषंगी कंपनी साझेदार है, की भारत में अनुषंगी, धारक या सहायक कंपनी का विवरण:

\*ऐसी कंपनियों की संख्या \_\_\_\_\_

ऐसी कंपनियों के ब्यौरे

- i. i. \*सीआईएन/एफसीआरएन/एलएलपीआई/अन्य पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_ पूर्व प्रेषित
- ii. \*ऐसी कंपनी या फर्म का नाम \_\_\_\_\_
- iii. \*क्या कंपनी है \_\_\_\_\_

11. भारत में व्यक्तियों, फर्मों या कंपनियों के ब्यौरे जिसे अधिनियम की धारा 2 के खंड 76 के अनुसार विदेशी कंपनी या ऐसी विदेशी कंपनी की कोई अनुषंगी या धारक कंपनी या ऐसी कोई फर्म जिसमें ऐसी विदेशी कंपनी या इसकी अनुषंगी या होल्डिंग कंपनी साझेदार है, को 'होल्डिंग पार्टी' मानी जाएगा।

संबंधित पार्टियों की संख्या

संबंधित पार्टियों के ब्यौरे

- i. \*डिन/पैन/सीआईएन/एफसीआरएन/एलएलपीआईएन/अन्य पंजीकरण संख्या

- ii. \*ऐसी कंपनी या फर्म का नाम

- iii. \*क्या कंपनी है

12. (क) \*क्या कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 379 के तहत आती है  हां  नहीं

(ख) अगर हां, तो धारा 379 के तहत आने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या

ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों की संख्या

*वर्ग	
व्यक्ति का विवरण	
निदेशक पहचान संख्या	
*आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन)	
*व्यक्ति का नाम	
*पिता का नाम <input type="checkbox"/> माता का नाम <input type="checkbox"/> पति/पत्नी का नाम <input type="checkbox"/>	
*राष्ट्रीयता	*जन्मतिथि
*व्यवसाय प्रकार <input type="checkbox"/> स्वनियोजित <input type="checkbox"/> व्यावसायिक <input type="checkbox"/> ग्रहणी <input type="checkbox"/> छात्र <input type="checkbox"/> कर्मचारी	
व्यवसाय का क्षेत्र	
अगर अन्य चुने हुए, उल्लेख करें	
*शैक्षिक योग्यता	
स्थायी पता	
*पंक्ति I	
*पंक्ति II	
*शहर	
*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*पिन कोड
*देश का आईएसओ कोड	
देश	
*दूरभाष	फैक्स
मोबाइल	
*ई-मेल आईडी	

\*क्या स्थायी पता और वर्तमान पता एक है,  हां  नहीं (रेडियो बटन)

वर्तमान पता

\*पंक्ति I

पंक्ति II

\*शहर

\*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र  \*पिन कोड

\*देश का आईएसओ कोड

देश

\*दूरभाष  फैक्स

\*कंपनियों/निगमित निकायों का विवरण

पूर्ण पृष्ठ

क) सीआईएन/एलएलपीआईएन/अन्य पंजीकरण संख्या

ख) कंपनी/निगमित निकाय का नाम

ग) संपर्क विवरण सहित पता

घ) कंपनी का ई-मेल पता

ड) दूरभाष संख्या

च) फैक्स संख्या, यदि कोई हो

### 13. स्टांप शुल्क के भुगतान के ब्यौरे) ब्यौरे भरने से पूर्व ब्यौरे संबंधी अनुदेश किट देखें

(क) राज्य या संघ शासित प्रदेश जिसके संबंध में स्टांप शुल्क पूर्व का भुगतान किया गया अथवा किया जाना है  पूर्ण पृष्ठ

(विदेश में निष्पादित (मुख्यतारनामों के लिए)

(ख) क्या स्टांप शुल्क का भुगतान एमसीए-21 प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना है  हां  नहीं  लागू नहीं।

(i) भुगतान योग्य स्टांप शुल्क का विवरण

रूप में

भुगतान की जाने वाली स्टांप शुल्क की राशि

(ii) पहले से भुगतान किए जा चुके स्टांप शुल्क के ब्यौरे दे

दस्तावेज़/ब्यौरे का प्रकार	प्ररूप 22.1
भुगतान किए गए स्टांप शुल्क की कुल राशि (रूप में)	
स्टांप शुल्क की भुगतान का तारीका	
भारतीय स्टांप अधिनियम के नियम 18 के अनुसार विदेश में निष्पादित दस्तावेजों को स्टांप करने के लिए स्टांप संग्रह का कार्यालय या निर्धारित प्राधिकरण का नाम	
एंभोसिंग या स्टांप या क्रोश चालान संख्या की क्रमांक संख्या	
स्टांप शुल्क भुगतान करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
स्टांप शुल्क भुगतान करने का स्थान	

#### संलग्नक

- \*कंपनी के गठन या संविधान को परिभाषित करने वाले कंपनी के चार्टर अध्यादेश या ज्ञापन और अनुसूचियां या अन्य लिखत की प्रमाणित प्रति;
- \*विदेशी कंपनी के निदेशकों और सचिवों की सूची;

संलग्न करें

संलग्न करें

3. \*प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के पक्ष में  
मुख्तारनामा या बोर्ड का संकल्प;
4. \*भारतीय रिजर्व बैंक का प्रस्ताव;
5. धारा 379 के तहत आने वाले व्यक्तियों के ब्यौरे;
6. भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थल के अलावा व्यवसाय  
स्थलों का विवरण;
7. पूर्व किसी अवसर (अवसरों) पर स्थापित व्यवसाय  
स्थलों का विवरण;
8. प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे;
9. प्राधिकृत व्यक्तियों का अन्य कंपनियों में हित;
10. भारत में विदेशी कंपनी की अनुषंगी, धारक या सहायक  
कंपनियों के ब्यौरे
11. विदेशी कंपनी से संबंधित कंपनी के ब्यौरे
12. अन्य प्राधिकरण (प्राधिकरणों/(नियामक) नियामकों) की  
अनुमति पत्र की प्रति;
13. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो

संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें
संलग्न करें

## घोषणा

में\*

कंपनी का प्राधिकृत, प्रतिनिधि, एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं दि.....के प्रस्ताव संख्या..... द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप और इससे संबंधित मामलों की विषय-वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। आगे यह घोषणा और सत्यापन किया जाता है कि :

1. इस प्रपत्र में जो कुछ बताया और संलग्न किया गया है, वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप के विषय-वस्तु की कोई सूचना छिपाई नहीं गई है और संस्थान के बहिनियम तथा संस्था के अंतर्नियम समर्थित संप्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।
2. किसी भी निदेशक या भारत में प्राधिकृत प्रतिनिधि को दोषी सिद्ध नहीं किया गया है या भारत या विदेश में कंपनियों की स्थापना और प्रबंधन के लिए नहीं रोक गया।
3. इस प्ररूप में संलग्न सभी संलग्नक पूर्ण, सही और सत्य है।

\*डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए



\*प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

\*प्राधिकृत प्रतिनिधि का आयकर पैन्

नोट: धारा 448 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनमें क्रमशः गलत विवरण देने हेतु दंड और गलत साक्ष्य देने हेतु दंड का प्रावधान है।

संशोधित करें

प्ररूप चेक करें

पूर्व संवीक्षा

जमा करें

कार्यालय प्रयोग हेतु:

फाइलिंग ब्यौरे संलग्न करें

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-फार्म दायर करने की तारीख  (दिन/माह/वर्ष)

एतदद्वारा प्ररूप को पंजीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर 

जमा की पुष्टि करें



हस्ताक्षर की तिथि

(दिन/माह/वर्ष)

प्रपत्र सं. एफसी-2

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380(3) और  
कंपनी (विदेशी कंपनी पंजीकरण) नियम, 2014 के  
नियम 3(4) के अनुसरण में]विदेशी कंपनी के पंजीकरण के लिए दायर दस्तावेज में परिवर्तन  
का विवरण?

प्रपत्र की भाषा.....अंग्रेजी.....हिन्दी

प्रपत्र दाखिल करने के हेतु निदेश फिर देखें

1. \*विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या(एफसीआरएन)

पूर्व पुरित

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता

(ग) कंपनी का ई-मेल पता

3. \*विवरण का प्रकार

- संगठन के चार्टर, अध्यादेश या जापान या संगठन के अनुच्छेद में परिवर्तन
- कंपनी के भारत में निगमीकरण के पंजीकृत या मुख्य कार्यालय में परिवर्तन
- कंपनी के भारत में व्यवसाय स्थानों में परिवर्तन
- निदेशकों या सचिव में परिवर्तन
- कंपनी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के ब्यौरे में परिवर्तन

4. (क) इस तरह के परिवर्तन को प्राधिकृत करने वाली बोर्ड की बैठक की तारीख, अगर कोई हो तो

(ख) आम सभा की तारीख, (अगर कोई हो तो)

(ग) क्या कोई मूल कंपनी की स्थिति या कार्यों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है \*हां \*नहीं

यदि हां, संक्षिप्त विवरण दें (संलग्नक अपेक्षित है)

(घ) क्या मूल कंपनी के स्वामित्व में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है \*हां \*नहीं

यदि हां, संक्षिप्त विवरण दें (संलग्नक अपेक्षित हैं)

भाग क: संगठन या संगठन के अनुच्छेदों के चार्टर, सांविधिक या कंपनी के बहिर्नियम या कंपनी के आंतरिक नियमों में परिवर्तन

5.(क)\*परिवर्तन की तारीख

(ख)\*परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण

(ग) ऐसे परिवर्तन के कारण

(घ) प्रस्ताव का प्रकार

सामान्य

विशेष

(ङ) क्या कंपनी के नाम में कोई बदलाव हुआ है

 हां

 नहीं

यदि हां, कंपनी के बदले हुए नाम का उल्लेख करें

भाग ख: निगमीकरण कार्यालय के देश में कंपनी के पंजीकृत या मुख्य कार्यालय में परिवर्तन

6. (क) निगमीकरण कार्यालय के देश में कंपनी के पंजीकृत या मुख्य कार्यालय का पता

\*पंक्ति I

पंक्ति II

\*शहर

\*राज्य

\*पिन कोड

\*आईएसओ देश का कोड

देश

\*टेलीफोन नंबर आईएसडी कोड के साथ

फैक्स नंबर आईएसडी कोड के साथ

\*ई-मेल आई डी

(ख) परिवर्तन की तारीख

(ग) परिवर्तन का कारण

भाग ग: कंपनी के भारत में व्यवसाय स्थल में परिवर्तन

7. परिवर्तनों की संख्या

1. (क) क्या परिवर्तन संबंधित है

व्यवसाय के मुख्य स्थल से

व्यवसाय के अन्य स्थल (स्थलों) से

(ख) परिवर्तन का प्रकार

व्यवसाय के मुख्य/अन्य स्थलों के पते में बदलाव  ऐसे स्थानों को बंद करना

(ग) प्रत्येक परिवर्तन के संबंध में विवरण

(i) \*परिवर्तन लागू होने की तारीख

(ii) \*ऐसे परिवर्तन के कारण

--

(iii) (क) कंपनी के व्यवसाय के मुख्य/अन्य स्थानों का वर्तमान पता

\*पंक्ति I

--

पंक्ति II

--

\*शहर

--

\*राज्य

--

\*पिन कोड

--

(ख) कार्यालय का प्रकार

--

अगर अन्य तो, विवरण प्रस्तुत करें

--

(iv) नया पता (अगर पते में परिवर्तन हुआ है तो)

\*पंक्ति I

--

पंक्ति II

--

\*शहर

--

\*राज्य

--

\*पिन कोड

--

फैक्स संख्या

--

\*ई-मेल आईडी

--

\*टैलीफोन नंबर

--

(v) \*क्या कार्यालय के प्रकार में कोई परिवर्तन  हां  नहीं

यदि हां, तो कार्यालय के प्रकार का उल्लेख करें

--

यदि अन्य, तो उल्लेख करें

--

(vi) \*क्या ऐसे परिवर्तन के लिए कोई अनुमति लेना अपेक्षित है

 हां नहीं

--

यदि हां, प्राधिकारी का नाम

अनुमति प्राप्त करने की तारीख

आदेश संख्या

--

--

(vii) \*क्या व्यवसाय में परिवर्तन हुआ है  हां  नहीं

यदि हां, तो व्यवसाय के नए कार्यों का उल्लेख करें-

--

II. भारत में व्यवसाय स्थल बंद करने के मामले में क्या कंपनी का भारत में अन्य किसी स्थान पर अब भी व्यवसाय जारी है:

(रेडियो बटन)  हां  नहीं

यदि हां, भारत में ऐसे स्थान (स्थानों) की कुल संख्या

भाग घ : निदेशकों या सचिवों के ब्यौरों में परिवर्तन

8. \*परिवर्तनों की संख्या

I. (क) \*ब्यौरे में परिवर्तन-

निदेशक के  सचिव के

(ख) प्रत्येक परिवर्तन के ब्यौरे:

(i)\*परिवर्तन की तारीख

(ii) \*परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण

(iii)\*इसके कारण

भाग ड : कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरों में परिवर्तन

9. प्रतिनिधियों की कुल संख्या, जिनके ब्यौरे में परिवर्तन हुआ है

प्रत्येक परिवर्तन के ब्यौरे:

I.(i) \*परिवर्तन का प्रकार

- दस्तावेजों की सुपुर्दगी स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत नए व्यक्ति की नियुक्ति
- दस्तावेजों की सुपुर्दगी स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के ब्यौरे में संशोधन
- दस्तावेजों की सुपुर्दगी स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के कार्यालय की समाप्ति



(ii)\*नियुक्ति/संशोधन/समाप्ति लागू होने की तिथि



(iii)\*ऐसी नियुक्ति/संशोधन/समाप्ति लागू होने की तिथि

(iv) कंपनी की ओर से दस्तावेजों की सुपूर्दगी स्वीकार करने के लिए नियुक्त/प्राधिकृत/कार्यमुक्त किए गए व्यक्ति का संशोधित विवरण

निदेशक का पहचान संख्या (अगर कोई हो तो)

पूर्व प्रति

\*आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन)

\*विदेशी कंपनी की ओर से स्वीकार करने के लिए भारत में रह रहे प्राधिकृत व्यक्ति का मान

\*  पिता का नाम  माता का नाम  पति/पत्नी का नाम

\*पदनाम

सदस्यता संख्या (अगर सचिव हो तो)

\*राष्ट्रीयता



अगर वर्तमान राष्ट्रीयता मूल राष्ट्रीयता नहीं हो तो,

मूल राष्ट्रीयता

पासपोर्टों की संख्या

पासपोर्ट की संख्या जारी करने की तारीख




जारी करने वाला देश

\*व्यवसाय का प्रकार  स्वनियोजित  व्यवसायिक  गृहणी  विद्यार्थी  कर्मचारी

व्यवसाय का क्षेत्र

अगर अन्य चुने हुए, तो उल्लेख करें

स्थायी पता

\*पंक्ति I

पंक्ति II

\*शहर

\*राज्य/संघ शासित क्षेत्र \*पिन कोड



\*देश का आईएसओ कोड/देश



\*फोन

फैक्स

\*ई-मेल आईडी

\*क्या वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है  हां  नहीं (रेडियो बटन)

स्थायी पता

\*पंक्ति I

पंक्ति II

\*शहर

\*राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रदेश\*पिन कोड

\*देश का आईएसओ कोड

देश

\*फोन

फैक्स

क्या पंजीकृत व्यक्ति मुक्तारनामा या प्रस्ताव पारित करके नियुक्त किया गया है-

\*मुक्तारनामा

\*प्रस्ताव

## घोषणा

में,

प्रमाणित करता हूँ कि मैं दिनांक..... के प्रस्ताव संख्या ..... द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किया गया हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस प्रारूप और इससे संबंधित मामलों की विषय वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। आगे यह घोषणा और सत्यापन किया जाता है कि-

1. इस प्रारूप में जो कुछ उल्लेखित और इसके संलग्नित हैं, सत्य, सही और पूर्ण हैं और इस प्रारूप के विषय वस्तु की कोई सूचना छिपाई नहीं गई है और संस्था के बहिर्विषय तथा संस्था के समर्थित संप्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।
2. इस प्रारूप में संलग्न सभी संलग्नक पूर्ण, सही और स्पष्ट हैं।

\*डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

\*विदेशी घोषणा

\*विदेशी कंपनी या प्राधिकृत का आयकर पैन

\*प्राधिकृत प्रतिनिधि का आयकर पैन

संलग्नक:

1. बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति, अगर कोई हो;
2. आम सभा प्रस्ताव की प्रति, अगर कोई हो;

संलग्नकों

संलग्नकों

3. अनुमोदन पत्र की प्रति, यदि कोई हो;
4. दस्तावेजों की अनुद्धित संस्करण (अगर यह अंग्रेजी में नहीं हो तो)
5. कंपनी के भारत में व्यवसाय स्थल में परिवर्तन के ब्यौरे
6. निदेशकों या सचिवों के विवरण में परिवर्तन के ब्यौरे
7. कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के विवरण में परिवर्तन के ब्यौरे
8. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो तो

संलग्नकों

संलग्नकों

संलग्नकों

संलग्नकों

संलग्नकों

संलग्नकों

नोट: अधिनियम की धारा 448 के प्रावधानों, जिसमें गलत कथन और प्रमाण पत्र के लिए सजा का प्रावधान है, की ओर ध्यान दें।

संशोधित करें

प्रारूप चेक करें

पूर्व संख्या

जमा करें

कार्यालय प्रयोग हेतु:

**फाइलिंग ब्यौरे संलग्न करें**

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआनएन).....

ई-फार्म दायर करने की तारीख.....(दिन/माह/वर्ष)

एतद्वारा प्ररूप को पंजीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर की तिथि.....(दिन/माह/वर्ष)

जमा की पुष्टि करें

प्ररूप सं. एफसी-3 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 381 और] विदेशी कंपनी पंजीकरण (नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसरण में]	विदेशी कंपनी द्वारा भारत में स्थापित व्यवसाय के सभी मुख्य स्थलों की सूची सहित वार्षिक लेखा
---	---

प्ररूप भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी

प्ररूप दायर करने के लिए निदेशों का संदर्भ लें।

- \*विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या) एफसीआरएन ..... (पूर्व पूरित  
(क) कंपनी का नाम.....  
(ख) विदेशी कंपनी का पंजीकृत या मुख्य स्थल का पता  
.....  
(ग) कंपनी का ई-मेल पता.....
- क\* (क्या कंपनी भारत में कोई व्यवसाय स्थल अब भी संचालित कर रही है) हां 0 नहीं  
ख (यदि हां तो, भारत में मुख्य स्थल/स्थलों की संख्या.....
- (क) वार्षिक लेखे की अवधि).....दिन/माह/वर्ष (से)..... (दिन/माह/वर्ष)  
(ख) लेखा परीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखे की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख)..... (दिन/माह/वर्ष)
- \*कंपनी के वार्षिक लेखे के ब्यौरे

भाग-क तुलन-पत्र

ब्यौरे	वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक आंकड़े (रु. में) . . . . . (दिन/माह/वर्ष)	वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक आंकड़े (रु. में) . . . . . (दिन/माह/वर्ष)
निधि के स्रोत		
पूंजी (मूल कंपनी से प्राप्त निधियां सहित)		
निक्षेप और अधिशेष		
प्रतिभूति ऋण		
अप्रतिभूति ऋण		

आस्थगित कर देनदारियां[सकल]		
अन्य (कृपया उल्लेख करें ) .....		
कुल		
निधियों के लिए आवेदन		
निवल अचल परिसंपत्तियां (अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)		
कम: अवमूल्यन और ऋण परिशोधन		
निवल अचल परिसंपत्तियां		
पूँजी कार्य प्रगति पर		
निवेश		
आस्थागत पर परिसंपत्तियां (सकल)		
वर्तमान परिसंपत्तियां , ऋण और अग्रिम		
(क) निवेश		
(ख) विविध देनदार		
(ग) नगद और बैंक में जमा राशि		
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		
(ङ) ऋण और अग्रिम		
कम: वर्तमान देनदारियां और प्रावधान		
(क) देनदारियां		
(ख) प्रावधान		
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां		
विविध व्यय जो बट्टे खाते में लिखे या समायोजित नहीं किए गए		
लाभ और हानि लेखा		
अन्य (कृपया उल्लेख करें ) .....		
कुल		

भाग-ख लाभ और हानि का विवरण) भारत में संचालित व्यवसाय से संबंधित(

	अवधि के लिए आंकड़े	अवधि के लिए आंकड़े
--	--------------------	--------------------

		(वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि) (रु.में) से) . . . . .दिन/माह/वर्ष तक) . . . . .दिन/माह/वर्ष	(वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि) (रु.में) से) . . . . .दिन/माह/वर्ष तक) . . . . .दिन/माह/वर्ष
(i)	भातीय व्यवसाय से राजस्व		
	(i) उत्पादित माल की बिक्री		
	(ii) कोरोबार माल की बिक्री		
	(iii) सेवाओं की बिक्री या पूर्ति		
(ii)	अन्य आय) भारतीय व्यापार से(		
(iii)	कुल राजस्व) i + ii		
(iv)	कुल व्यय		
(v)	विशिष्ट और असाधारण मद से प्राप्त लाभ और कर		
(vi)	विशिष्ट और असाधारण मद		
(vii)	कराधान से प्राप्त लाभ) v-vi		
(viii)	कराधान		
(ix)	कर के बाद लाभ (vii-viii)		
(x)	धारा 198 के अनुसार लाभ		

5. तुलन-पत्र भरने की तारीख तक भारत में सभी मुख्य व्यवसाय स्थलों की सूची

(i) क \*(स्थापना की तारीख.....

ख \*कार्यालय का प्रकार.....

अगर अन्य, तो उल्लेख करें.....

ग\*(पता

\*पंक्ति.....

पंक्ति ii.....

\*शहर.....

\*राज्य.....

देश..... \*पिन कोड.....

\*दूरभाष..... फैक्स.....

\*ई-मेल आईडी.....

घ\* (मुख्य स्थल पर होने वाली व्यवसायिक क्रियाओं का विवरण

संलग्नक

1. \*मूल कंपनी की नवीनतम समेकित वित्तीय विवरण की प्रति;
2. \*धारा 381(1) के तहत विधिवत प्रमाणित तुलन-पत्र और लाभ और हानि के लेखे की प्रति;
3. नियम 4(2) (क) के अनुसार संबंधित पार्टी के लेन-देन का विवरण;
4. नियम 4(2) (ख) के अनुसार प्रत्यावर्तन लाभ का विवरण;
5. नियम 4(2) (ग) के अनुसार निधियों के हस्तांतरण का विवरण;
6. प्रत्येक कार्यालय के ले प्राप्त अनुमोदन पत्र;
7. वैकल्पिक संलग्नक, अगर कोई हो तो।

घोषणा

मैं,

प्रमाणित करता हूँ कि मैं दिनांक द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा..... के प्रस्ताव संख्या .....

प्रमाणित करता हूँ कि मैं दिनांक .....के प्रस्ताव संख्या.....द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किया गया हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस प्रारूप और इससे संबंधित मामलों की विषय वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों की अपेक्षाओं की पालन किया गया है। आगे यह घोषणा और सत्यापन किया जाता है कि--

1. इस प्रारूप में जो कुछ उल्लेखित और इसके संलग्नक हैं, सत्य, सही और पूर्ण हैं और इस प्रारूप के विषय वस्तु की कोई सूचना छिपाई नहीं गई है और संस्था के बहिर्नियम तथा संस्था के समर्थित संप्रतकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।
2. इस प्रारूप में संलग्न सभी संलग्नक पूर्ण, सही और स्पष्ट हैं।

डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए

डीएससी बॉक्स


नोट: अधिनियम की धारा 448 के प्रावधानों, जिसमें गलत कथन और प्रमाण पत्र के लिए सजा का प्रावधान है, की और ध्यान दें।

प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम.....

प्राधिकृत प्रतिनिधि का आयकर पैन संख्या .....

संशोधित करें प्रारूप चेक करें पूर्व संख्या जमा करें

यहां ई-प्रपत्र प्रारूप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तथा कंपनी द्वारा दिए गए यथातथ्यता के विवरण के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल में शामिल किया जाएगा।

<p>प्रपत्र एफसी-4 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 384 (2) और कंपनी (विदेशी कंपनी पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 7 के अनुसरण में]</p>	 सत्यमेव जयते	<p>विदेशी कंपनी का वार्षिक विवरण</p>
--	---	--------------------------------------

प्रपत्र की भाषा..... अंग्रेजी..... हिंदी

प्रपत्र भरने के लिए निदेश किट का संदर्भ लें

1. \*विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या..... ( पूर्व पूरित )
2. ( क ) कंपनी की नाम.....  
( ख ) विदेशी कंपनी में पंजीकृत कार्यालय का पता.....
3. \*( क ) क्या सदस्यों या डिबेंचरों के रजिस्टर का कोई भाग भारत में रखा है  
\* हां\* नहीं  
( ख ) यदि हां, तो उस स्थान का पता जहां रजिस्टर का भाग रखा गया है  
पंक्ति I.....  
पंक्ति II.....  
( ग ) शहर.....  
( घ ) राज्य.....  
( ङ ) पिन कोड.....
4. \*तुलन- पत्र की तारीख (कंपनी के वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख).....(दिन/माह/वर्ष)
5. \*कंपनी की मुख्य व्यवसायिक क्रियाविधि  
कंपनी के कुल व्यवसाय में 20% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यवसायिक क्रियाविधियों का उल्लेख करें

क्र.सं.	व्यवसाय क्रियाविधियां	कंपनी के कुल व्यवसाय की कुल बिक्री का प्रतिशत
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

6. विदेशी कंपनी अथवा ऐसी विदेशी कंपनी की कोई अनुषंगी या होल्डिंग कंपनी या भारत में कोई फर्म जिसमें ऐसी विदेशी कंपनी या इसकी होल्डिंग या अनुषंगी कंपनी साझेदार है, की भारत में अनुषंगी, धारक या सहायक कंपनी का विवरण

\*ऐसी कंपनियों की संख्या.....

ऐसी कंपनियों के ब्यौरे.....

1. (i) \* सीआईएन/एफसीआरएन/एलएलपीआईएन/अन्य पंजीकरण संख्या..... ( पूर्व पूरित )

2. (ii) \* ऐसी कंपनी या फर्म का नाम.....

(iii) \*क्या कंपनी है.....

शेयर पूंजी, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों का सार

7. (i) प्राधिकृत शेयर पूंजी

( क ) निम्नलिखित में विभाजित प्राधिकृत शेयर पूंजी.....शेयरों की संख्या.....(रु. में)

शेयरों की श्रेणी	शेयरों की संख्या	न्यूनतम मूल्य (रु. में)

## (ख) प्राधिकृत भारतीय निक्षेपागार पावतियां

आईडीआर नामांकनों की कुल संख्या.....

आईडीआर की कुल राशि.....

## (ii) अभिदत्त शेयर पूंजी

(क) प्रत्येक श्रेणी द्वारा लिए गए शेयरों की संख्या      शेयरों की संख्या      शेयरों की श्रेणी

(ख) प्रत्येक श्रेणी के जारी किए गए शेयरों की संख्या      शेयरों की संख्या      शेयरों की श्रेणी

जिनका भुगतान पूर्णतया नगद करना है

(ग) नगदी के अलावा किसी अन्य विचार के लिए

पूरी तरह से प्रदत्त रूप में जारी किए गए

प्रत्येक श्रेणी के शेयरों की संख्या

शेयरों की संख्या

शेयरों की श्रेणी

(घ) नगद के अतिरिक्त विचारणीय आंशिक रूप से प्रदत्त के रूप में जारी प्रत्येक वर्ग के शेयरों की संख्या और वह सीमा जहां तक प्रत्येक शेयर इस प्रकार प्रदत्त है ।

शेयरों की श्रेणी	शेयरों की संख्या	प्रति शेयर प्रदत्त मूल

(ङ) छूट पर जारी किए गए प्रत्येक श्रेणी के जारी शेयरों की संख्या, अगर कोई हो तो

शेयरों की संख्या

शेयरों की श्रेणी

(च) बढ़ा नहीं काटे गए शेयरों पर छूट राशि)..... (रु. में)

(छ) प्राधिकृत भारतीय निक्षेपागार पावतियों के ब्यौरे

आईडीआर की कुल संख्या.....प्रत्येक डीआईआर का न्यूनतम मूल्य.....

आईडीआर की कुल राशि.....

## (iii) मांगी गई शेयर पूंजी

(क) प्रत्येक श्रेणी के शेयरों की संख्या पर मांगी गई पूंजी

शेयरों की श्रेणी	शेयरों की संख्या	प्रत्येक शेयर का मांगा गया मूल्य

(ख) आवेदन आबंटन और शेयरों के भुगतान से प्राप्त कोई राशि सहित कॉल्स से प्राप्त कुल राशि (रु. में)

(ग) नगद के अतिरिक्त विचारणीय पूर्ण रूप से प्रदत्त के रूप में जारी प्रत्येक वर्ग के शेयरों की संख्या की कुल राशि, अगर कोई हो तो)..... दिनांक को



शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी

(घ) नगद के अतिरिक्त विचारणीय आंशिक रूप से प्रदत्त के रूप में जारी प्रत्येक वर्ग के शेयरों की संख्या की कुल राशि, (अगर कोई हो तो)..... दिनांक को

शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी

(ङ) अदत्त कॉल्स की कुल राशि..... (रु. में)

(च) प्राधिकृत भारतीय निक्षेपागार पावतियों के ब्यौरे

आईडीआर की कुल संख्या .....प्रत्येक आईडीआर का न्यूनतम मूल्य.....

आईडीआर की कुल राशि.....

8. \*जब्त किए गए प्रत्येक श्रेणी के शेयरों की कुल संख्या

शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी

9. जब्त शेयरों पर चुकायी गई कुल राशि, (यदि कोई हो)..... (रु. में)

10. वाहकों को दिए गए शेयर अधिपत्रों के लिए शेयरों की कुल बकाया राशि.....(रु. में)

11. पिछले विवरण भरने से अब तक वाहक को जारी और सौंपे गए शेयर अधिपत्रों की क्रमशः कुल राशि

(क) जारी किए गए..... (रु. में)

(ख) सौंपे गए.....(रु. में)

12. कंपनी के शेयरधारण का तारीख

क्र.सं.	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयर	वर्ष के अंत में धारित शेयर	शेयर धारण की प्रतिशतता % (में परिवर्तन)
1.	सरकार (केन्द्र और राज्य)			
2.	सरकारी कंपनियां			
3.	सार्वजनिक वित्तीय संस्थान			
4.	राष्ट्रीयकृत या अन्य बैंक			
5.	म्युचुअल फंड्स			
6.	उद्यम पूंजी			
7.	विदेशी धारक विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी कंपनियों अप्रवासी भारतीय, विदेशी वित्तीय संस्थान या विदेशी निकाय			
8.	निकाय कंपनी ऊपर उल्लेख नहीं किया गया			
9.	निदेशक या निदेशकों के संबंधी			
10.	अन्य शीर्ष 50 शेयरधारक			

	( उपर्युक्त के अलावा )			
11.	अन्य			
12.	कुल			
	शेयरधारकों की कुल संख्या			

13. डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों के बकाया की कुल राशि (रु.में )

- (क) (i) डिबेंचरों की संख्या.....  
(ii) प्रत्येक डिबेंचर का न्यूनतम मूल्य (रु. में.....)  
(iii) डिबेंचरों की कुल राशि (रु. में.....)
- (ख) अन्य प्रतिभूतियों की राशि

प्रतिभूतियों की श्रेणी	प्रतिभूतियों की संख्या	न्यूनतम मूल्य	कुल राशि

14.(i) शेयरों या डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों द्वारा कमीशन के माध्यम से भुगतान की गई

कुल राशि, यदि कोई हो रु. में.....

- (ii) पिछले विवरण भरने से अब तक डिबेंचरों द्वारा छूट के माध्यम से स्वीकार की गई राशि, यदि कोई हो रु. में.....

15. (क) \*क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 379 के तहत कंपनी आती है\* हां\* नहीं  
(ख) (i) यदि हां तो, धारा 379 के तहत आने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख करें  
ऐसे व्यक्ति व्यक्तियों के ब्यौरे.....

\*श्रेणी.....

व्यक्ति का विवरण.....

निदेशक पहचान संख्या..... (पूर्व पूरित)

\*आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन).....

\*व्यक्ति का नाम

\*पिता का नाम \*माता का नाम \*पति/पत्नी का नाम

\*राष्ट्रीयता

\*व्यवसाय का प्रकार \*स्वनियोजित \*व्यवसायी \*गृहणी \*विद्यार्थी \*कर्मचारी

व्यवसाय का क्षेत्र.....

यदि अन्य चुने तो उल्लेख करें.....

शैक्षिक योग्यता.....

स्थायी पता.....

पंक्ति 1.....

पंक्ति 2.....

शहर.....  
 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश.....पिन कोड.....  
 आईएसओ देश का कोड.....  
 देश.....  
 दूरभाष.....फैक्स.....  
 मोबाइल.....  
 ई-मेल पता.....

क्या वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही हैं \*हां \* नहीं (रेडियो बटन)

वर्तमान पता

पंक्ति 1.....

पंक्ति 2.....

शहर.....

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश.....पिन कोड.....

आईएसओ देश का कोड.....

देश.....

दूरभाष.....फैक्स.....

\*कंपनियों/ निकाय कंपनियों का विवरण

(क) सीआईएन/एलएलपीआईएन/अन्य पंजीकरण संख्या).....पूर्व पूरित

(ख) कंपनी/निकाय कंपनी का नाम.....

(ग) संपर्क विवरण सहित पता.....

(घ) कंपनी ई-मेल पता.....

(ङ) दूरभाष.....

(छ) फैक्स, अगर हो तो.....

16. अधिनियम की धारा 384 और अध्याय-VI के तहत शुल्कों के पंजीकरण के लिए अपेक्षित कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसके लिए भारत में संपत्तियों पर शुल्क लगाया गया

व्योरे	राशि	शुल्क लगाई गई संपत्ति (संपत्तियों) के नाम
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता		
(i) मूल राशि		
(ii) ब्याज बकाया किन्तु भुगतान नहीं किया गया		
(iii) उपर्जित ब्याज किन्तु बकाया नहीं		
कुल (i + ii + iii)		
वर्ष के दौरान लगे शुल्क की कुल राशि		
वर्ष के दौरान चुकाए गई शुल्क की कुल राशि		
वर्ष के अंत तक ऋणग्रस्तता		
(i) मूल पूंजी		



2. (क) उस देश का आईएसओ कोड, जहां विदेशी कंपनी पंजीकृत है :

(ख) देश का नाम :

(ग) पंजीकरण/जीएलएन सं.

3. विदेशी कंपनी के पंजीकृत या मुख्य कार्यालय का पूरा नाम :

पता :

पंक्ति 1

पंक्ति 2

शहर

राज्य

देश

पिन कोड

आईएसडी कोड सहित दूरभाष

आईएसडी कोड सहित फैक्स

ई मेल पता-

4. आईडीआर धारक द्वारा नियंत्रित आईडीआर का विवरण:

5. धारक द्वारा नामित उस व्यक्ति का नाम और विवरण जिसे धारक की मृत्यु होने पर धारक द्वारा नियंत्रित आईडीआर पर अधिकार प्राप्त होगा

(क) नामित व्यक्ति का नाम:

(ख) पिता/पति का नाम :

(ग) जन्म तिथि :

(घ) लिंग :

(ङ) पैन :

(च) पूरा पता :

घोषणा

मैं . . . . . पुत्र/पत्नी श्री . . . . . निवास . . . . . और उपर्युक्त विशिष्ट संख्या आईडीआर संख्या . . . . . का धारक एतद्वारा उपर्युक्त व्यक्ति, जिसके ब्यौरे ऊपर दिए गए हैं, मेरी मृत्यु होने पर मेरे द्वारा आईडीआर का अधिकार देता हूँ। मैं यह घोषणा बिना किसी प्रभाव या दबाव के मेरी इच्छाधारित और मर्जी से कर रहा हूँ और भविष्य में मेरे द्वारा दूसरे व्यक्ति के नामजदगी करने के लिए इसे रद्द नहीं करने तक उसे अंतिम माना जाए।

[एफएन 1/23/2013/सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

**G.S.R. 266(E).**—In exercise of the powers conferred under clause (c) and clause (h) of sub-section

(1) and sub-section (3) of section 380, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (3) of section 381, section 385, clause (a) of section 386, section 389 and section 390 read with section 469 of the Companies Act, 2013, and in supersession of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 or any other rules prescribed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2014.

2. **Definitions.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Annexure" means the Annexure enclosed to these rules;

(c) For the purposes of clause (42) of section 2 of the Act, "electronic mode" means carrying out electronically based, whether main server is installed in India or not, including, but not limited to -

(i) business to business and business to consumer transactions, data interchange and other digital supply transactions;

(ii) offering to accept deposits or inviting deposits or accepting deposits or subscriptions in securities, in India or from citizens of India;

(iii) financial settlements, web based marketing, advisory and transactional services, database services and products, supply chain management;

(iv) online services such as telemarketing, telecommuting, telemedicine, education and information research; and

(v) all related data communication services,

whether conducted by e-mail, mobile devices, social media, cloud computing, document management, voice or data transmission or otherwise;

(d) "fees" means the fees as specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014;

(e) "Form" or "e-Form" means a form set forth in Annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates;

(f) "Schedule" means the Schedule to the Act;

(g) "section" means section of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules.

**3. Particulars relating to directors and Secretary to be furnished to the Registrar by foreign Companies.-** (1) Every foreign company shall, within thirty days of establishment of its place of business

in India, in addition to the particulars specified in sub-section (1) of section 380 of the Act, also deliver to the Registrar for registration, a list of directors and Secretary of such company.

(2) The list of directors and secretary or equivalent (by whatever name called) of the foreign company shall contain the following particulars, for each of the persons included in such list, namely:-

- (a) personal name and surname in full;
- (b) any former name or names and surname or surnames in full;
- (c) father's name or mother's name and spouse's name;
- (d) date of birth;
- (e) residential address;
- (f) nationality;
- (g) if the present nationality is not the nationality of origin, his nationality of origin;
- (h) passport Number, date of issue and country of issue; (if a person holds more than one passport then details of all passports to be given)
- (i) income-tax permanent account number (PAN) , if applicable;
- (j) occupation, if any ;
- (k) whether directorship in any other Indian company, (Director Identification Number (DIN), Name and Corporate Identity Number (CIN) of the company in case of holding directorship);
- (l) other directorship or directorships held by him;
- (m) Membership Number (for Secretary only); and
- (n) e-mail ID.

(3) A foreign company shall, within a period of thirty days of the establishment of its place of business in India, file with the registrar Form FC-1 with such fee as provided in Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 and with the documents required to be delivered for registration by a foreign company in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 380 and the application shall also be supported with an attested copy of approval from the Reserve Bank of India under Foreign Exchange Management Act or Regulations, and also from other regulators, if any, approval is required by such foreign company to establish a place of business in India or a declaration from the authorised representative of such foreign company that no such approval is required.

(4) Where any alteration is made or occurs in the document delivered to the Registrar for registration under sub-section (1) of section 380, the foreign company shall file with the Registrar, a return in Form FC-2 along with the fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 containing the

particulars of the alteration, within a period of thirty days from the date on which the alteration was made or occurred.

**4. Financial Statement of foreign company.**—(1) Every foreign company shall prepare financial statement of its Indian business operations in accordance with Schedule III or as near thereto as may be possible for each financial year including—

(i) documents required to be annexed thereto in accordance with the provisions of Chapter IX of the Act i.e. Accounts of Companies ;

(ii) documents relating to copies of latest consolidated financial statements of the parent foreign company, as submitted by it to the prescribed authority in the country of its incorporation under the provisions of the law for the time being in force in that country:

Provided that where such documents are not in English language, there shall be annexed to it a certified translation thereof in the English language:

Provided further that where the Central Government has exempted or specified different documents for any foreign company or a class of foreign companies, then documents as specified shall be submitted;

(iii) Such other documents as may be required to be annexed or attached in accordance with sub-rule (2).

(2) Every foreign company shall, along with the financial statement required to be filed with the Registrar, attach thereto the following documents; namely: —

(a) Statement of related party transaction, which shall include—

- (i) name of the person in India which shall be deemed to be the related party within the meaning of clause (76) of section 2 of the Act of the foreign company or of any subsidiary or holding company of such foreign company or of any firm in which such foreign company or its subsidiary or holding company is a partner;
- (ii) nature of such relationship;
- (iii) description and nature of transaction;
- (iv) amount of such transaction during the year with opening , closing, highest and lowest balance during the year and provisions made (if any) in respect of such transactions;
- (v) reason of such transaction;
- (vi) material effect of such transaction on both the parties;



- (vii) amount written off or written back in respect of dues from or to the related parties;
- (viii) a declaration that such transactions were carried out at arms length basis; and
- (ix) any other details of the transaction necessary to understand the financial impact;

(b) Statement of repatriation of profits which shall include—

- (i) amount of profits repatriated during the year;
- (ii) recipients of the repatriation;
- (iii) form of repatriation;
- (iv) dates of repatriation;
- (v) details if repatriation made to a jurisdiction other than the residence of the beneficiary;
- (vi) mode of repatriation; and
- (vii) approval of the Reserve Bank of India or any other authority, if any.

(c) Statement of transfer of funds (including dividends if any) which shall, in relation of any fund transfer between place of business of foreign company in India and any other related party of the foreign company outside India including its holding, subsidiary and associate company, include—

- (i) date of such transfer;
- (ii) amount of fund transferred or received;
- (iii) mode of receipt or transfer of fund;
- (iv) purpose of such receipt or transfer; and
- (v) approval of Reserve Bank of India or any other authority, if any

(3) The documents referred to in this rule shall be delivered to the Registrar within a period of six months of the close of the financial year of the foreign company to which the documents relate:

Provided that the Registrar may, for any special reason, and on application made in writing by the foreign company concerned, extend the said period by a period not exceeding three months.

**5. Audit of accounts of foreign company.** —(1) Every foreign company shall get its accounts, pertaining to the Indian business operations prepared in accordance with the requirements of clause (a) of sub-section

(1) of section 381 and rule 4, audited by a practicing Chartered Accountant in India or a firm or limited liability partnership of practicing chartered accountants.

**Explanation.**—For the purposes of this sub-rule, the expressions “Chartered Accountant”, “Firm” and limited liability partnership shall have the meanings respectively assigned to them under the Act and Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) respectively.

(2) The provisions of Chapter X i.e. Audit and Auditors and rules made thereunder, as far as applicable, shall apply, *mutatis mutandis*, to the foreign company.

**6. List of places of business of foreign company.**— Every foreign company shall file with the Registrar, along with the financial statement, in Form FC.3 with such fee as provided under Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 a list of all the places of business established by the foreign company in India as on the date of balance sheet.

**7. Annual Return.**— Every foreign company shall prepare and file, within a period of sixty days from the last day of its financial year, to the Registrar annual return in Form FC.4 along with such fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 containing the particulars as they stood on the close of the financial year

**8. Office where documents to be delivered and fee for registration of documents.**— (1) Any document which any foreign company is required to deliver to the Registrar shall be delivered to the Registrar having jurisdiction over New Delhi, and references to the Registrar in Chapter XXII of the Act i.e. Companies Incorporated Outside India and these rules shall be construed accordingly.

(2) The fee to be paid to the Registrar for registering any document relating to a foreign company shall be such as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

(3) If any foreign company ceases to have a place of business in India, it shall forthwith give notice of the fact to the Registrar, and as from the date on which notice is so given, the obligation of the company to deliver any document to the Registrar shall cease, provided it has no other place of business in India.

**9. Certification.**— A copy of any charter, statutes, memorandum and articles, or other instrument constituting or defining the constitution of a Foreign company shall be duly certified to be a true copy in the manner given below –

(1) If the company is incorporated in a country outside the Commonwealth-

(a) the copy aforesaid shall be certified as a true copy by-

- (i) an official of the Government to whose custody the original is situated; or
- (ii) a Notary (Public) of such Country; or
- (iii) an officer of the company.

(b) The signature or seal of the official referred to in sub-clause (i) of clause (a) or the certificate of the Notary (Public) referred to in sub-clause (ii) of clause (a) shall be authenticated by a diplomatic or consular officer empowered in this behalf under section 3 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (XL of 1948), or where there is no such officer, by any of the officials mentioned in section 6 of the Commissioners of Oath Act, 1889 (52 and 53 Vic. C. 10), or in any relevant Act for the said purpose.

(c) The certificate of the officer of the company referred to in sub-clause (iii) of clause (a) shall be signed before a person having authority to administer an oath as provided under section 3 of the Diplomatic and Consular Officers (Oath and Fees) Act, 1948 (XL of 1948), or as the case may be, by section 3 of the Commissioners of Oath Act, 1889 (52 and 53 Vic. C. 10) and the status of the person administering the oath in the latter case being authenticated by any official specified in section 6 of the Commissioners of Oaths Act, 1889 (52 and 53 Vic. C. 10) or in any relevant Act for the said purpose.

(2) If the company is incorporated in any part of the Commonwealth, the copy of the document shall be certified as a true copy by-

- (a) an official of the Government to whose custody the original of the document is committed; or
- (b) a Notary (Public) in that part of the Commonwealth; or
- (c) an officer of the company, on oath before a person having authority to administer an oath in that part of the Commonwealth.

(3) Any altered document delivered to the Registrar should also be duly certified in the manner mentioned above.

(4) If the Company is incorporated in a country falling outside the Commonwealth, but a party to the Hague Apostille Convention, 1961-

- (a) the copy of the documents shall be certified as a true copy by an official of the Government to whose custody the original is committed and be duly apostilled in accordance with Hague Convention;
- (b) a list of the directors and the secretary of the Company, if any, the name and address of persons resident in India, authorized to accept notice on behalf of the Company shall be duly notarized and be apostilled in the Country of their origin in accordance with Hague Convention;
- (c) the signatures and address on the Memorandum of Association and proof of identity, where required, of foreign nationals seeking to register a company in India shall be notarized before the notary of the country of their origin and be duly apostilled in accordance with the said Hague Convention.

**10. Authentication of translated documents.-** (1) All the documents required to be filed with the Registrar by the foreign companies shall be in English language and where any such document is not in English language, there shall be attached a translation thereof in English language duly certified to be correct in the manner given in these rules.

(2) Where any such translation is made outside India, it shall be authenticated by the signature and the seal, if any, of-

- (a) the official having custody of the original; or
- (b) a Notary (Public) of the country (or part of the country) where the company is incorporated:

**Provided** that where the company is incorporated in a country outside the Commonwealth, the signature or seal of the person so certifying shall be authenticated by a diplomatic or consular officer empowered in this behalf under section 3 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948, or, where there is no such officer, by any of the officials mentioned in section 6, of the Commissioners of Oaths Act, 1889 (52 and 53 Vic C 10), or in any relevant Act for the said purpose.

(3) Where such translation is made within India, it shall be authenticated by-

- (a) an advocate, attorney or pleader entitled to appear before any High Court; or
- (b) an affidavit, of a competent person having, in the opinion of the Registrar, an adequate knowledge of the language of the original and of English.

**11. Documents to be annexed to prospectus.-** The following documents shall be annexed to the prospectus, namely:-

- (a) any consent to the issue of the prospectus required from any person as an expert;
- (b) a copy of contracts for appointment of managing director or manager and in case of a contract not reduced into writing, a memorandum giving full particulars thereof;
- (c) a copy of any other material contracts, not entered in the ordinary course of business, but entered within preceding two years;
- (d) a copy of underwriting agreement; and
- (e) a copy of power of attorney, if prospectus is signed through duly authorized agent of directors.

**12. Action for improper use or description as foreign company.-** If any person or persons trade or carry on business in any manner under any name or title or description as a foreign company registered under the Act or the rules made thereunder, that person or each of those persons shall, unless duly registered as foreign

company under the Act and rules made thereunder, shall be liable for investigation under section 210 of the Act and action consequent upon that investigation shall be taken against that person.

**13. Issue of Indian Depository Receipts (IDRs).-** (1) For the purposes of section 390, no company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established, or may or may not establish, any place of business in India (hereinafter in this rule called 'issuing company') shall make an issue of Indian Depository Receipts (IDRs) unless such company complies with the conditions mentioned under this rule, in addition to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 and any directions issued by the Reserve Bank of India.

*Explanation.-* For the purposes of this rule, the term "Indian Depository Receipt" (hereinafter referred to as 'IDR') means any instrument in the form of a depository receipt created by a Domestic Depository in India and authorized by a company incorporated outside India making an issue of such depository receipts.

(2) The issuing company shall not issue IDRs unless-

- (a) its pre-issue paid-up capital and free reserves are at least US\$ 50 million and it has a minimum average market capitalization (during the last three years) in its parent country of at least US\$ 100 million;
- (b) it has been continuously trading on a stock exchange in its parent or home country (the country of incorporation of such company) for at least three immediately preceding years;
- (c) it has a track record of distributable profits in terms of section 123 of the Act, for at least three out of immediately preceding five years;
- (d) It fulfills such other eligibility criteria as may be laid down by the Securities and Exchange Board of India from time to time in this behalf.

(3) The issuing company shall follow the following procedure for making an issue of IDRs:

- (a) the issuing company shall, where required, obtain the necessary approvals or exemptions from the appropriate authorities from the country of its incorporation under the relevant laws relating to issue of capital and IDRs.
- (b) issuing company shall obtain prior written approval from the Securities and Exchange Board of India on an application made in this behalf for issue of IDRs along with the issue size.
- (c) an application under clause (b) shall be made to the Securities and Exchange Board of India (along with draft prospectus) at least ninety days prior to the opening date of the IDRs issue, in such form, along with such fee and furnishing such information as may be specified by the Securities and Exchange Board of India from time to time:

Provided that the issuing company shall also file with the Securities and Exchange Board of India, through a Merchant Banker, a due diligence report along with the application under clause (b) in the form specified by the Securities and Exchange Board of India.

- (d) the Securities and Exchange Board of India may, within a period of thirty days of receipt of an application under clause (c), call for such further information, and explanations, as it may deem necessary, for disposal of such application and shall dispose the application within a period of thirty days of receipt of further information or explanation:

Provided that if within a period of sixty days from the date of submission of application or draft prospectus, the Securities and Exchange Board of India specifies any changes to be made in the draft prospectus, the prospectus shall not be filed with the Securities and Exchange Board of India or Registrar of Companies unless such changes have been incorporated therein.

(e) the issuing company shall on approval being granted by the Securities and Exchange Board of India to an application under clause (b), pay to the Securities and Exchange Board of India an issue fee as may be prescribed from time to time by the Securities and Exchange Board of India.

(f) the issuing company shall file a prospectus, certified by two authorized signatories of the issuing company, one of whom shall be a whole-time director and other the Chief Financial Officer, stating the particulars of the resolution of the Board by which it was approved with the Securities and Exchange Board of India and Registrar of Companies, New Delhi before such issue:

Provided that at the time of filing of said prospectus with the Registrar of Companies, New Delhi, a copy of approval granted by the Securities and Exchange Board of India and the statement of fees paid by the Issuing Company to the Securities and Exchange Board of India shall also be attached.

(g) the prospectus to be filed with the Securities and Exchange Board of India and the Registrar of Companies, New Delhi shall contain the particulars as prescribed in sub-rule (8) and shall be signed by all the whole-time directors of the issuing company, and the Chief Financial Officer.

(h) the issuing company shall appoint an overseas custodian bank, a Domestic Depository and a Merchant Banker for the purpose of issue of IDRs.

(i) the issuing company may appoint underwriters registered with the Securities and Exchange Board of India to underwrite the issue of IDRs.

(j) the issuing company shall deliver the underlying equity shares or cause them to be delivered to an Overseas Custodian Bank and the said bank shall authorize the domestic depository to issue IDRs.

(k) the issuing company shall obtain in-principle listing permission from one or more stock exchanges having nationwide trading terminals in India.

*Explanation- For the purposes of this rule,-*

(i) "Domestic Depository" means custodian of securities registered with the Securities and Exchange Board of India and authorized by the issuing company to issue IDRs.

(ii) "Merchant Banker" means a Merchant Banker as defined in sub-regulation (cb) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board (Merchant Bankers) Regulations, 1992.

(iii) "Overseas Custodian Bank" means a banking company which is established in a country outside India and which acts as custodian for the equity shares of Issuing Company, against which IDRs are proposed to be issued by having a custodial arrangement or agreement with the Domestic Depository or by establishing a place of business in India.

(4) The Merchant Banker to the issue of IDRs shall deliver for registration the following documents or information to the Securities and Exchange Board of India and Registrar of Companies at New Delhi, namely:-

- (a) instrument constituting or defining the constitution of the issuing company;
- (b) the enactments or provisions having the force of law by or under which the incorporation of the Issuing company was effected, a copy of such provisions attested by an officer of the company be annexed;
- (c) if the issuing company has established place of business in India, address of its principal office in India;
- (d) if the issuing company does not establish a principal place of business in India, an address in India where the said instrument, enactments or provision or copies thereof are available for public inspection, and if these are not in English, a translation thereof certified by a key managerial personnel of the Issuing company shall be kept for public inspection;
- (e) a certified copy of the certificate of incorporation of the issuing company in the country in which it is incorporated;
- (f) the copies of the agreements entered into between the issuing company, the overseas custodian bank, the Domestic Depository, which shall inter alia specify the rights to be passed on to the IDR holders;
- (g) if any document or any portion thereof required to be filed with the Securities and Exchange Board of India or the Registrar of Companies is not in English language, a translation of that document or portion thereof in English, certified by a key managerial personnel of the company to be correct and attested by an authorized officer of the Embassy or Consulate of that country in India, shall be attached to each copy of the document.

- (5) (a) No application form for the securities of the issuing company shall be issued unless the form is accompanied by a memorandum containing the salient features of prospectus in the specified form.
- (b) An application form can be issued without the memorandum as specified in clause (a), if it is issued in connection with an invitation to enter into an underwriting agreement with respect to the IDRs.
- (c) The prospectus for subscription of IDRs of the Issuing company which includes a statement purporting to be made by an expert shall not be circulated, issued or distributed in India or abroad unless a statement that the expert has given his written consent to the issue thereof and has not withdrawn such consent before the delivery of a copy of the prospectus to the Securities and Exchange Board of India and the Registrar of Companies, New Delhi, appears on the prospectus.
- (d) The provisions of the Act shall apply for all liabilities for mis-statements in prospectus or punishment for fraudulently inducing persons to invest money in IDRs.
- (e) The person(s) responsible for issue of the prospectus shall not incur any liability by reason of any non-compliance with or contravention of any provision of this rule, if-

- (i) as regards any matter not disclosed, he proves that he had no knowledge thereof; or
  - (ii) the contravention arose in respect of such matters which in the opinion of the Central Government or the Securities and Exchange Board of India were not material.
- (6) (a) A holder of IDRs may transfer the IDRs, may ask the Domestic Depository to redeem them or any person may seek reissuance of IDRs by conversion of underlying equity shares, subject to the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, or the rules, regulations or guidelines issued under these Acts, or any other law for the time being in force;
- (b) In case of redemption, Domestic Depository shall request the Overseas Custodian Bank to get the corresponding underlying equity shares released in favour of the holder of IDRs for being sold directly on behalf of holder of IDRs, or being transferred in the books of Issuing company in the name of holder of IDRs and a copy of such request shall be sent to the issuing company for information.
- (c) A holder of IDRs may, at any time, nominate a person to whom his IDRs shall vest in the event of his death and Form FC-5 may be used for this purpose.
- (7) (a) The repatriation of the proceeds of issue of IDRs shall be subject to laws for the time being in force relating to export of foreign exchange.
- (b) The number of underlying equity shares offered in a financial year through IDR offerings shall not exceed twenty five per cent of the post issue number of equity shares of the company.
- (c) Notwithstanding the denomination of securities of an Issuing company, the IDRs issued by it shall be denominated in Indian Rupees.
- (d) The IDRs issued under this Rule shall be listed on the recognized Stock Exchange(s) in India as specified in clause (k) of sub-rule (3) and such IDRs may be purchased, possessed and freely transferred by a person resident in India as defined in section 2(v) of the Foreign Exchange Management Act, 1999, subject to the provisions of the said Act:
- Provided that the IDRs issued by an Issuing company may be purchased, possessed and transferred by a person other than a person resident in India if such Issuing company obtains specific approval from Reserve Bank of India in this regard or complies with any policy or guidelines that may be issued by Reserve Bank of India on the subject matter;
- (e) Every issuing company shall comply with such continuous disclosure requirements as may be specified by the Securities and Exchange Board of India in this regard.
- (f) On the receipt of dividend or other corporate action on the IDRs as specified in the agreements between the Issuing company and the Domestic Depository, the Domestic Depository shall distribute them to the IDR holders in proportion to their holdings of IDRs.
- (8) The prospectus or letter of offer shall, inter alia, contain the following particulars, namely:-
- (a) General information-**
- (i) Name and address of the registered office of the company;



- (ii) name and address of the Domestic Depository, the Overseas Custodian Bank with the address of its office in India, the Merchant Banker, the underwriter to the issue and any other intermediary which may be appointed in connection with the issue of IDRs;
- (iii) names and addresses of Stock Exchanges where applications are made or proposed to be made for listing of the IDRs;
- (iv) the provisions relating to punishment for fictitious applications;
- (v) statement or declaration for refund of excess subscription;
- (vi) declaration about issue of allotment letters or certificates or IDRs within the stipulated period;
- (vii) date of opening of issue;
- (viii) date of closing of issue;
- (ix) date of earliest closing of the issue;
- (x) declaration by the Merchant Banker with regard to adequacy of resources of underwriters to discharge their respective obligations, in case of being required to do so;
- (xi) a statement by the Issuing company that all moneys received out of issue of IDRs shall be transferred to a separate domestic bank account, name and address of the bank and the nature and number of the account to which the amount shall be credited;
- (xii) the details of proposed utilisation of the proceeds of the IDR issue.

**(b) Capital Structure of the Company-** The authorized, issued, subscribed and paid-up capital of the issuing company;

**(c) Terms of the issue-**

- (i) rights of the IDR holders against the underlying securities;
- (ii) details of availability of prospectus and forms, i.e., date, time, place etc;
- (iii) amount and mode of payment seeking issue of IDRs; and
- (iv) any special tax benefits for the Issuing company and holders of IDRs in India.

**(d) Particulars of Issue-**

- (i) the objects of the issue;
- (ii) the cost of the Project, if any; and
- (iii) the means of financing the projects, if any including contribution by promoters.

**(e) Company, Management and Project-**

- (i) the main objects, history and present business of the company;
- (ii) the Promoters or parent group or owner group and their background:

Provided that in case there are no identifiable promoters, the names, addresses and other particulars as may be specified by the Securities and Exchange Board of India of all the persons who hold five percent. or more equity share capital of the company shall be disclosed;

- (iii) the subsidiaries of the company, if any;
- (iv) the particulars of the Management or Board (i.e. Name and complete address(es) of Directors, Manager, Managing Director or other principal officers of the company);
- (v) the location of the project, if any;
- (vi) the details of plant and machinery, infrastructure facilities, technology etc., where applicable;
- (vii) the schedule of implementation of project and progress made so far, if applicable;
- (viii) nature of product(s), consumer(s), industrial users;
- (ix) the particulars of legal, financial and other defaults, if any;
- (x) the risk factors to the issue as perceived; and
- (xi) consent of the Merchant Bankers, Overseas Custodian Bank, the Domestic Depository and all other intermediaries associated with the issue of IDRs.
- (xii) the information, as may be specified by the Securities and Exchange Board of India, in respect of listing, trading record or history of the Issuing company on all the stock exchanges, whether situated in its parent country or elsewhere.

**(f) Report-**

- (i) Where the law of a country, in which the Issuing company is incorporated, requires annual statutory audit of the accounts of the Issuing company, a report by the statutory auditor of the Issuing company, in such form as may be specified by the Securities and Exchange Board of India on -

(A) the audited financial statements of the Issuing company in respect of three financial years immediately preceding the date of prospectus;

(B) the interim audited financial statements in respect of the period ending on a date which is less than 180 days prior to the date of opening of the issue, if the gap between the ending date of the latest audited financial statements disclosed under clause (A) and the date of the opening of the issue is more than 180 days:

Provided that if the gap between such date of latest audited financial statements and the date of opening of issue is 180 days or less, the requirement under item (B) shall be deemed to be complied with, if a statement, as may be specified by the Securities and Exchange Board of India, in respect of material changes in the financial position of Issuing company for such gap is disclosed in the Prospectus:

Provided further that in case of an Issuing company which is a foreign bank incorporated outside India and which is regulated by a member of the Bank for International Settlements or a member of the International Organization of Securities Commissions which is a signatory to a Multilateral Memorandum of Understanding, the requirement under this paragraph, in respect of period beginning with last date of period for which the latest audited financial statements are made and the

date of opening of the issue shall be satisfied, if the relevant financial statements are based on limited review report of such statutory auditor;

(ii) Where the law of the country, in which the Issuing company is incorporated, does not require annual statutory audit of the accounts of the Issuing company, a report, in such form as may be specified by the Securities And Exchange Board of India, certified by a Chartered Accountant in practice within the terms and meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 on -

(A) the financial statements of the Issuing company, in particular on the profits and losses for each of the three financial years immediately preceding the date of prospectus and upon the assets and liabilities of the Issuing company; and

(B) the interim financial statements in respect of the period ending on a date which is less than one hundred and eighty days prior to the date of opening of the issue have to be included in report, if the gap between the ending date of the latest financial statements disclosed under item (A) and the date of the opening of the issue is more than one hundred and eighty days:

Provided that if the gap between such date of latest audited financial statements and the date of opening of issue is one hundred and eighty days or less, the requirement under item (B) shall be deemed to be complied with if a statement, as may be specified by the Securities And Exchange Board of India, in respect of changes in the financial position of Issuing company for such gap is disclosed in the Prospectus.

(iii) the gap between date of opening of issue and date of reports specified under sub-clauses (i) and (ii) shall not exceed one hundred and twenty days;

(iv) If the proceeds of the IDR issue are used for investing in other body(ies) corporate, then following details of such body(ies) corporate shall be given-

(A) the Name and address(es) of the bodies corporate;

(B) the reports stated in sub-clauses (i) and (ii), as the case may be, in respect of such body (ies) corporate also.”

**(g) Other Information-**

(i) the Minimum subscription for the issue;

(ii) the fees and expenses payable to the intermediaries involved in the issue of IDRs;

(iii) the declaration with regard to compliance with the Foreign Exchange Management Act, 1999.

**(h) Inspection of Documents-**

The Place at which inspection of the offer documents, the financial statements and auditor's report thereof shall be allowed during the normal business hours; and

(i) any other information as specified by the Securities and Exchange Board of India or the Income-tax Authorities or the Reserve Bank of India or other regulatory authorities from time to time.

## ANNEXURE

**FORM NO. FC-1**

[Pursuant to section 380(1) (h) of the Companies Act 2013, and rule 3(3) of Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014]



सत्यमेव जयते

**Information to be filed by foreign company**

Form language  English  Hindi

Refer the instruction kit for filling the form.

1. \*Name of the foreign company
2. (a) \*ISO code of the country where the foreign company is registered
- (b) Name of Country
- (c) Registration number or GLN
3. Full address of registered or principal office of foreign company
  - \*Line I
  - Line II
  - \*City
  - \*State
  - \*Country  \*Pin code
  - \*Telephone number with ISD Code
  - Fax number with ISD Code
  - \*email Id of the foreign company
4. (a) \*Date of establishment of principal place of business in India
- (b) \*Type of office
- If others, then provide details
- (c) Address of the principal place of business in India
  - \*Line I
  - Line II
  - \*City
  - \*State  \*Pin code
  - \*Telephone number
  - Fax number
  - \*email id
  - (d) \*Main division of business activity to be carried out in India
  - (based on relevant sub class and description given in NIC-2004)
  - Description of the main division

5. Details of other places of business in India (if any)

Number of such other places of business in India

I. (i) \*Date of establishment

(ii) \*Type of office

If others, specify

(iii) Address

\*Line I

Line II

\*City

\*State  \*Pin code

\*Telephone number

Fax number

\*email id

(iv) \*Business activities to be carried out at such place

6. Particulars of place(s) of business in India established on any earlier occasion(s) other than above (if any)

Number of such places

I. (i) \*Date of establishment

(ii) \*Type of office

If others, specify

(iii) Address

\*Line I

Line II

\*City

\*State  \*Pin code

\*Telephone number

Fax number

\*email id

(iv) \*Business activities to be carried out at such place

(v) (a) \*Date of closure of such place of business

(b) \*Foreign company registration number of such place

7. Details of the one or more person(s) resident in India and authorized to accept on behalf of the foreign company service of process and any notices or other documents required to be served on the foreign company-

\*Number of persons authorized

Particulars of the authorized person

Director Identification Number (if any)

Pre-fill

\*Income tax Permanent Account number (Income-tax PAN)

\*Name of the person resident in India authorized to accept on behalf of foreign company

\*O Father's Name o Mother's Name o Spouse's name

\*Designation

Membership number (In case of Secretary)

\*Nationality

\*Date of Birth

If the present nationality is not the nationality of origin, then specify the nationality of origin

Number of the passports

Passport number

Date of issue

Issue country

\*Occupation type O Self Employed O Professional O Homemaker O Student O Serviceman

Area of Occupation

If others selected, specify

Permanent Address

\*Line I

Line II

\*City

\*State/Union Territory

\*Pin code

\*ISO Country code

Country

\*Phone

Fax

\*email ID

\*Whether present address is same as the permanent address  Yes  No ( Radio button)

Present Address

\*Line I

Line II

\*City

\*State/Union Territory

\*Pin code

\*ISO Country code

Country

\*Phone

Fax

\*Whether the person authorised has been appointed through power of attorney or by passing the resolution

Power of attorney  Resolution

## 8. Details of the permission obtained from any Authority

Number of authority from whom approvals taken i) \*Name of the Authority ii) \*Date of obtaining the approval order iii) \*Order number iv) Period of validity of such permission, if any v) \*Permission obtained for  
vi) Brief particulars of terms and conditions subject to which such permission is given, if any  
vii) Other details, if any  

9. (i) \*Whether the parent company is in operation at the time of making this application o Yes o No  
(ii) \*Whether there is any winding up proceedings is pending against the parent company o Yes o No

If yes, mention  

10. Details of subsidiary, holding or associate companies in India of the foreign company or of any subsidiary or holding company of such foreign company or of any firm in India in which such foreign company or its holding or subsidiary company is a partner:

\*Number of such entities 

Particulars of such entities

I. i. \*CIN/FCRN/LLPIN/Dther Registration Number  ii. \*Name of such company or firm  
iii. \*Whether the company is 

11. Details of the persons, firms or companies in India which shall be deemed to be the 'related party', within the meaning of clause 76 of section 2 of the Act, of the foreign company or of any subsidiary or holding company of such foreign company or of any firm in which such foreign company or its subsidiary or holding company is a partner.

Number of related parties 

Particulars of related parties

I. i. \*DIN/PAN/CIN/FCRN/LLPIN/Other Registration Number  ii. \*Name of such company or firm

iii. \*Whether the company is

12. (a) \*Whether the company is falling under section 379 of the Companies Act, 2013  Yes  No

(b) If yes, specify the number of such persons covered under section 379

Particulars of such person(s)

\*Category

**Details of the person**

Director identification number

Pre-fill

\*Income tax Permanent Account number (Income-tax PAN)

\*Name of the person

O Father's Name  O Mother's Name  O Spouse's name

\*Nationality  Date of Birth

\*Occupation type  O Self Employed  O Professional  O Homemaker  O Student  O Serviceman

Area of Occupation

If others selected, specify

\*Educational qualification

**Permanent Address**

\*Line I

Line II

\*City

\*State /Union Territory

\*Pin code

\*ISO Country code

Country

\*Phone

Fax

Mobile

\*email id

\*Whether present address is same as the permanent address  Yes  No ( Radio button)

**Present Address**

\*Line I

Line II

\*City

\*State/Union Territory

\*Pin code

\*ISO Country code

Country

\*Phone

Fax

\*Details of companies/ body corporates

Pre-fill

a) CIN/LLPIN/Other Registration Number



b)	Name of the company/body corporate	<input type="text"/>
c)	Address with contact details	<input type="text"/>
d)	Email ID of the company	<input type="text"/>
e)	Telephone number	<input type="text"/>
f)	Fax number, if any	<input type="text"/>

**13. Particulars of payment of stamp duty (Refer instruction kit for details before filling the particulars)**

- (a) State or Union Territory in respect of which stamp duty is paid or to be paid on foreign executed power of attorney  **Part 51**
- (b) \*Whether stamp duty is to be paid electronically through MCA21 system  Yes  No  Not applicable
- (i) Details of stamp duty to be paid  
Amount of stamp duty to be paid (in Rs.)
- (ii) Provide details of stamp duty already paid

Type of document/Particulars	
Total amount of stamp paid (in Rs.)	<input type="text"/>
Mode of payment of stamp duty	<input type="text"/>
Name of the office of the collector of stamps or prescribed authority for stamping in foreign executed documents as per Rule 18 of the Indian Stamp Act	
Serial number of embossing or stamps or treasury challan number	
Date of payment of stamp duty	<input type="text"/> (DD/MM/YYYY)
Place of payment of stamp duty	

**Attachments**

- \*Certified copy of the charter, statutes, or memorandum and articles of the company or other instrument constituting or defining the constitution of the company;
- \*List of directors and secretary of the foreign company;
- \*Power of attorney or board resolution in favor of the authorized representative(s);
- \*Reserve bank of India approval letter;
- Particulars of the persons covered u/s 379;
- Details of the places of business other than principal place of business in India;
- Details of the places of business established at

**Attach**

**Attach**

**Attach**

**Attach**

**Attach**

**Attach**

**Attach**

- any earlier occasion(s);
- 8. Particulars of the authorized representatives;
- 9. Interest of authorized person(s) in other entities;
- 10. Particulars of subsidiary, holding or associate companies of the foreign company in India
- 11. Particulars of related party of the foreign company.
- 12. Copy of permission letter of other Authority(s)/Regulator(s);
- 13. Optional attachment(s), if any

Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach

**Declaration**

I, \*  the authorized representative of the company, hereby certify that I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number \*  dated\*  to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. It is further declared and verified that:

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.
2. None of the directors or the authorised representative in India has ever been convicted or debarred from formation of companies and management in India or abroad.
3. All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.

\*To be digitally signed by  DSC box

\*Name of the authorised representative

\*Income Tax PAN of the Authorised representative

**Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 of the Act which provide for punishment for false statement and certification.**

Modify	Check Form	Preceding	Submit
--------	------------	-----------	--------

**For office use only:**  **APN filing details**  
 eForm Service request number (SRN)  eForm filing date  (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered  
 Digital signature of the authorising officer   **Confirm submission**  
 Date of signing  (DD/MM/YYYY)

**FORM NO. FC.2**

[Pursuant to section 380(3) of the Companies Act 2013, and rule 3(4) Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014]



सत्यमेव जयते

**Return of alteration in the documents filed for registration by foreign company**

Form language  English  Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. \*Foreign company registration number (FCRN)

Pre-Fill

2. (a) Name of the company

(b) Address of the principal place of business in India of the foreign company

(c) email id of the company

3. \*Type of return

- Alteration in charter, statute or memorandum of association or articles of association  
 Alteration in registered or principal office of the company in the country of incorporation  
 Alteration in places of business in India of the company  
 Alteration in directors or secretary  
 Alteration in particulars of company authorized representative(s)

4. (a) Date of the board meeting authorizing such alteration, if any

(b) Date of general meeting (if any)

(c) \*Whether there is any material change in the status or affairs of the parent company  Yes  No

If yes, furnish the brief details (attachment required)

(d) \*Whether there is any material change in the ownership of the parent company  Yes  No

If yes, furnish the brief details (attachment required)

**Part A: Alteration in charter, statute or memorandum of association or articles of association**

5. (a) \*Date of alteration

(b) \*Brief description of the alteration

(c) \*Reason(s) for such alteration

(d) \*Type of resolution       Ordinary       Special

(e) \*Whether there is any change in the name of the company

Yes       No

If yes, specify the changed name of the company

**PART B : Alteration in registered or principal office of the company in the country of incorporation**

6. (a) Address of new registered or principal office of the company in the country of incorporation

\*Line I

Line II

\*City

\*State

\*Pin Code

\*ISO Country Code

Country

\*Telephone number with ISD Code

Fax number with ISD Code

\*email Id of the foreign company

(b) \*Date of alteration

(c) \*Reason of alteration

**PART C : Alteration in the place of business in India of the company**

7. Number of alterations

I. (a) Whether the alteration is in respect of

- Principal place of business
- Other place(s) of business

(b) Type of alteration

- Change of address of principal/ other place of business
- Cessation to have a such place

(c) Details in respect of each alteration-

(i) \*Effective date of alteration

(ii) \*Reason(s) for such alteration

(iii) (a) Existing address of the principal/ other place of business of the company

\*Line I

Line II

\*City

\*State

\*Pin Code

(b) Type of office

If others, then provide details

(iv) New address (In case of change in address)

\*Line I

Line II

\*City

\*State

\*Pin Code

Fax No.

\*email id

\*Telephone No.

(v) \*Whether any change in the type of office  Yes  No

If yes, then specify the type of office

If others, then specify

(vi) \*Whether any approval is required for such alteration

Yes  No

If yes, Name of the Authority

Date of the approval obtained

Order Number

(vii) \*Whether there is change in the business activities  Yes  No

If yes, specify the new business activities

II. In case of cessation to have a place of business in India, whether the company is still maintaining any place of

business in India: (radio button)  Yes  No

If yes, total number of such place(s) in India

**Part D : Alteration in the particulars of the directors or secretaries**

8. \*Number of the alterations

I. (a) \*Alteration in the particulars of-

Director  Secretary

(b) Particulars of each alteration:

(i) \*Date of alteration

(ii) \*Brief descriptions of the alteration

(iii) \*Reason(s) thereof

**PART E : Alteration in particulars of company authorized representative**

9. Total number of representatives whose particulars has changed

Particulars of each alteration:

I. (i) \*Type of alteration

- Appointment of new person authorized to accept service of documents
- Modification to the particulars of person authorized to accept service of documents
- Cessation of office of person authorized to accept service of documents

(ii) \*Effective date of appointment/ modification/ cessation

(iii) \*Reason(s) for such appointment/ modification/ cessation

(iv) Modified details of the person appointed/ authorized/ ceased to accept service of documents on behalf of company

Director Identification Number (if any)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
*Income tax Permanent Account number (Income-tax PAN)	<input type="text"/>	
*Name of the person resident in India authorized to accept on behalf of foreign company		
<input type="text"/>		
*O Father's Name    o Mother's Name    o Spouse's name		
<input type="text"/>		
*Designation	<input type="text"/>	
Membership number (In case of Secretary)	<input type="text"/>	
*Nationality	<input type="text"/>	Date of Birth <input type="text"/>
If the present nationality is not the nationality of origin, then specify the nationality of origin		
<input type="text"/>		
Number of the passports	<input type="text"/>	
Passport number	<input type="text"/>	Date of issue <input type="text"/>
Issue country	<input type="text"/>	
*Occupation type    O Self Employed    O Professional    O Homemaker    O Student    O Serviceman		
Area of Occupation	<input type="text"/>	
If others selected, specify	<input type="text"/>	
Permanent Address		
*Line I	<input type="text"/>	
Line II	<input type="text"/>	
*City	<input type="text"/>	
*State/Union Territory	<input type="text"/>	*Pin code <input type="text"/>
*ISO Country code	<input type="text"/>	Country <input type="text"/>
*Phone	<input type="text"/>	Fax <input type="text"/>
*email ID	<input type="text"/>	
*Whether present address is same as the permanent address <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No ( Radio button)		
Present Address		
*Line I	<input type="text"/>	
Line II	<input type="text"/>	
*City	<input type="text"/>	
*State/Union Territory	<input type="text"/>	*Pin code <input type="text"/>
*ISO Country code	<input type="text"/>	Country <input type="text"/>
*Phone	<input type="text"/>	Fax <input type="text"/>
*Whether the person authorised has been appointed through power of attorney or by passing the resolution		
<input type="radio"/> Power of attorney <input type="radio"/> Resolution		

Declaration

I, \* [ ]

the authorized representative of the company, hereby certify that I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number \* [ ] dated\* [ ] to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. It is further declared and verified that:

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.
2. All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.

\*To be digitally signed by

[DSC Box]

\*Authorised representative of the Foreign company

[ ]

\*Income Tax PAN of the Authorised representative

[ ]

Attachments:

1. Copy of the Board resolution, if any;
2. Copy of the general meeting resolution, if any;
3. Copy of approval letter, if any;
4. Translated version of the documents (in case it is not in English)
5. Particulars of alterations in the place of business in India of the company
6. Particulars of alteration in details of the directors or secretaries
7. Particulars of alterations in details of the company authorized representative
8. Optional attachments, if any.

[Attach]  
 [Attach]  
 [Attach]  
 [Attach]  
 [Attach]  
 [Attach]  
 [Attach]  
 [Attach]

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 of the Act which provide for punishment for false statement and certification.

[Modify]

[Check Form]

[Prescribing]

[Submit]

For office use only:

[eForm filing details]

eForm Service request number (SRN)

[ ]

eForm filing date

[ ]

(DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

[ ]

[Confirm submission]

Date of signing

[ ]

(DD/MM/YYYY)



**FORMNO. FC-3**

[Pursuant to section 381 of the Companies Act 2013, and rule 6 of Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014]



सत्यमेव जयते

Annual accounts along with the list of all principal places of business in India established by foreign company

Form language  English  Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. \*Foreign company registration number (FCRN)  (a) Name of the company (b) Address of the registered or principal place of foreign company (c) email id of the company 2. a) \*Whether the company is still maintaining any place of business in India  Yes  Nob) If yes, Total number of principal place(s) of business in India 3.(a) \*Period of annual accounts From 

(DD/MM/YYYY)

To 

(DD/MM/YYYY)

(b) \* Date of signing of report on the annual accounts by the auditors 

(DD/MM/YYYY)

4. \*Particulars of the annual accounts of the company

**Part - A BALANCE SHEET**

Particulars	Figures as at the end of (Current financial year) (in Rs. `)	Figures for the period (Previous financial year) (in Rs. `)
	<input type="text"/> (DD/MM/YYYY)	<input type="text"/> (DD/MM/YYYY)
Sources of funds		
Capital (including funds received from parent company)		
Reserves and surplus		
Secured loans		
Unsecured loans		
Deferred tax liabilities (Net)		
Others (Please specify)		
<input type="text"/>		

1534 40/14-9

TOTAL		
Application of funds		
Gross fixed assets (including intangible assets)		
Less: depreciation and amortization		
Net fixed assets		
Capital work-in-progress		
Investments		
Deferred tax assets (Net)		
Current assets, loans and advances		
(a) Inventories		
(b) Sundry debtors		
(c) Cash and bank balances		
(d) Other current assets		
(e) Loans and advances		
Less: Current liabilities and provisions		
(a) Liabilities		
(b) Provisions		
Net current assets		
Miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted		
Profit and loss account		
Others (Please specify)		
TOTAL		

**Part - B STATEMENT OF PROFIT AND LOSS** (in relation to the business carried in India)

	Figures for the period (Current reporting period) (in `)		Figures for the period (Previous reporting period) (in `)	
	From	To	From	To
(I) Revenue from Indian operations				
(i) Sale of goods manufactured				
(ii) Sale of goods traded				
(iii) Sale or supply of services				
(II) Other Income (from Indian operations)				
(III) Total Revenue (I + II)				
(IV) Total Expenses Incurred				
(V) Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)				
(VI) Exceptional & extraordinary items				
(VII) Profit before taxation (V-VI)				
(VIII) Taxation				
(IX) Profit after tax (VII-VIII)				
(X) Profit as per Section 198				

5. List of all principal places of business in India as on the balance sheet date

1. (a) \*Date of establishment

(b) \*Type of office

If others, specify

(c) \*Address

\*Line I

Line II

\*City

\*State

Country\*Pin  Code

\*Telephone Number  Fax No.

\*email id

(d)\*Description of the business activities carried out at the principal place

#### Attachments

1. \*Copy of latest consolidated financial statement of parent company;
2. \*Copy of balance sheet and profit and loss account duly authenticated under section 381(1);
3. Statement of related party transactions as per rule 4(2)(a);
4. Statement of repatriation of profits as per rule 4(2)(b);
5. Statement of transfer of funds as per rule 4(2)(c);
6. Approval letter obtained for every establishment;
7. Optional attachments, if any.

#### Declaration

I\*  the authorized representative of the company, hereby certify that I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number \* dated\*  to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. It is further declared and verified that:

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.
2. All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.

\*To be digitally signed by

\*Name of the authorised representative

\*Income Tax PAN of the Authorised representative

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 of the Act which provide for punishment for false statement and certification.

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

**FORM FC-4**

[Pursuant to Section 384(2) of the Companies Act 2013 and rule 7 of Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014]



सत्यमेव जयते

**Annual Return of a Foreign Company**Form language  English  Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. \* Foreign company registration number

Pre-Fill

2. a). Name of the company

(b). Address of Registered Office of the foreign company

3. a). \* Whether any part of the register of members or debentures kept in India

 Yes No

(b). If yes, address of the place in which the part of the register is kept

Line I

Line II

(c). City

(d). State

(e). Pin code

4. \* Date of balance sheet (last day of financial year of the company)

(DD/MM/YYYY)

5. \* Principal business activities of the company

All the business activities contributing 20 % or more of the total turnover of the company shall be stated

S. No.	Business activities	Turnover as % to total sales / turnover of the company
1		
2		
3		
4		
5		

6. Details of subsidiary, holding or associate companies in India of the foreign company or of any subsidiary or holding company of such foreign company or of any firm in India in which such foreign company or its holding or subsidiary company is a partner

\*Number of such entities

Particulars of such entities

i. (i). \*CIN/FCRN/LLPIN/Other Registration Number  Pre-fill

(ii). \*Name of such company or firm

iii. \*Whether the company is

**Summary of share capital, debentures and other securities**

7. (i) **Authorised share capital**

(a). Authorised share capital  (number of shares)  (in Rs.)  
divided into:

Class of shares	Number of shares	Nominal value (in Rs.)

(b) **Particulars of authorized Indian Depository Receipts**

Total number of IDRs  Nominal value per IDR   
Total amount of IDRs

(ii) **Subscribed share capital**

(a). Number of shares of each class taken

Number of shares	Class of shares

(b). Number of shares of each class issued subject to payment wholly in cash

Number of shares	Class of shares

(c). Number of shares of each class issued as fully paid-up for a consideration other than cash

Number of shares	Class of shares

(d). Number of shares of each class issued as partly paid-up for a consideration other than cash and extent to which each such share is so paid-up

Class of shares	Number of shares	Paid-up value per share

(e). Number of shares (if any) of each class issued at discount

Number of shares	Class of shares

(f). Amount of discount on the issue which has not been written off (in Rs.)

(g) Particulars of authorized Indian Depository Receipts

Total number of IDRs

Nominal value per IDR

Total amount of IDRs

(iii) Called up share capital

(a). Amount called up on number of shares of each class

Class of shares	Number of shares	Called up value per share

(b). Total amount of calls received, including payment on application and allotment and any sums received on shares forfeited (in Rs.)

(c). Total amount (if any) agreed to be considered as paid on number of shares of each class issued as fully paid-up for a consideration other than cash (in Rs)

on

Number of shares	Class of shares

(d). Total amount (if any) agreed to be considered as paid on number of shares of each class issued as partly paid-up for a consideration other than cash (in Rs.)  on

Number of shares	Class of shares

(e). Total amount of calls unpaid (in Rs.)

(f) Particulars of authorized Indian Depository Receipts

Total number of IDRs  Nominal value per IDR   
 Total amount of IDRs

8. Total number of shares of each class forfeited

Number of shares	Class of shares

9. Total amount paid (if any) on shares forfeited (in Rs.)

10. Total amount of shares for which share warrants to bearer are outstanding (in Rs.)

11. Total amount of share warrants to bearer issued and surrendered respectively since the date up to which the last return was made

(a). Issued (in Rs.)

(b). Surrendered (in Rs.)

12. The shareholding pattern of the company

S. No.	Category of share holders	Shares held at the beginning of the year	Shares held at the end of the year	Percentage (%) change in the shareholding
1.	Government(Central and State)			
2.	Government Companies			
3.	Public financial institutions			
4.	Nationalized or other bank(s)			
5.	Mutual Funds			
6.	Venture Capital			
7.	Foreign holdings (Foreign Institutional Investors, Foreign companies, Non-resident Indians, Foreign financial institutions or			



	Overseas corporate bodies)			
8.	Bodies Corporate (not mentioned above)			
9.	Directors or relatives of directors			
10.	Other top fifty shareholders (other than mentioned above)			
11.	Others			
12.	Total			
	Total number of shareholders			

**13. Total amount of debentures and other securities outstanding (in Rs.)**

(a) (i) Number of debentures

(ii) Nominal value per debenture (in Rs.)

(iii) Total amount of debentures (in Rs.)

**(b) Amount of other securities**

Class of securities	Number of securities	Nominal value	Total amount

14.(i) Total amount of the sums (if any) paid by way of commission in respect of any shares or debentures and other securities (in Rs.)

(ii). Total amount of the sums (if any) allowed by way of discount in respect of any debentures since the date up to which the last return was made (in Rs.)

15. (a) \* Whether the company is falling under section 379 of the Companies Act, 2013  Yes  No

(b)(i) If yes, specify the number of such persons covered under section 379

Particulars of such person(s)

\*Category

**Details of the person**

Director identification number

\*Income tax Permanent Account number (Income-tax PAN)

\*Name of the person

\*O Father's Name  o Mother's Name  o Spouse's name

\*Nationality

\*Date of Birth

\*Occupation type  Self Employed  Professional  Homemaker  Student  Serviceman

Area of Occupation

If others selected, specify

\*Educational qualification

Permanent Address

\*Line I

Line II

\*City

\*State /Union Territory  \*Pin code

\*ISO Country code

Country

\*Phone  Fax

Mobile

\*email id

\*Whether present address is same as the permanent address  Yes  No ( Radio button)

Present Address

\*Line I

Line II

\*City


\*State/Union Territory  \*Pin code

\*ISO Country code

Country

\*Phone  Fax

**\*Details of companies/ body corporates**

a) CIN/LLPIN/Other Registration Number  

b) Name of the company/body corporate

c) Address with contact details

d) Email ID of the company

e) Telephone number

f) Fax number, if any

**16. Indebtedness of the Company for which charge has been created on the properties in India requiring registration of charges under Section 384 and Chapter VI of the Act**

Particulars	Amount	Name of the property(s) charged
<b>Indebtedness at the beginning of the year</b>		
i) Principal Amount		
ii) Interest due but not paid		

iii) Interest accrued but not due		
<b>Total (I + ii + iii)</b>		
<b>Total amount of charge created during the year</b>		
<b>Total amount of charge satisfied during the year</b>		
<b>Indebtedness at the end of the year</b>		
i) Principal Amount		
ii) Interest due but not paid		
iii) Interest accrued but not due		
<b>Total (i +ii + iii)</b>		

**Attachments**

- \*Details of Promoters , Directors and Key managerial personnel and changes therein since close of previous financial year;
- \*Details of directors and key managerial personnel and their remuneration;
- \*Details of the meeting of the members or class thereof, board and its various committees along with attendance details;
- \*Particulars of members and debenture holders along with changes therein since the close of previous financial year;
- Particulars of Holding, subsidiary and associate companies and firms;
- Details of Penalties / punishment/ Compounding of offences, if any;
- Optional attachment(s), (if any).

**Declaration**

I, \*

the authorized representative of the company, hereby certify that I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number \*  dated\*  and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. It is further declared and verified that:

- Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.
- All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.

\*To be digitally signed by

DSC box

Name of the authorised representative Income Tax PAN of the Authorised representative 

**Note:Attention is also drawn to provisions of Section 448 of the Act which provide for punishment for false statement and certification.**

<input type="button" value="Modify"/>	<input type="button" value="Check Form"/>	<input type="button" value="Prescrutin"/>	<input type="button" value="Submit"/>
<b>For office use only:</b>		<input type="button" value="Affix filing details"/>	
eForm Service request number (SRN)	<input type="text"/>	eForm filing date	<input type="text"/> (DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby registered			
Digital signature of the authorising officer	<input type="text"/>	<input type="button" value="Submit to BO"/>	
Date of signing	<input type="text"/>	(DD/MM/YYYY)	

**Form FC-5****Nomination by IDR Holder**

*[Pursuant to section 390 and rule 13(6)(c) of Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014]*

1. Name of the foreign company:

2. (a) ISO code of the country where the foreign company is registered:

(b) Name of Country:

(c) Registration / GLN No.

3. Full address of registered or principal office of foreign company:

Address:

Line I

Line II

City

State

Country

Pin code

Telephone No. with ISD Code.

Fax No. with ISD Code

E-mail id

4. Details of IDRs held by the IDR holder

5. Name and details of the Nominee to whom IDRs held by the holder shall vest in the event of death of the holder :

a. Name of the nominee:

b. Father/Husband name:

c. Date of Birth:

d. Gender:

e. PAN:

f. Full Address:

**Declaration**

I ..... S/o/W/o..... R/o.....and holder of  
..... number of IDRs distinctive number as given herein above do  
hereby nominate the above person whose particulars are given herein above who  
shall hold such IDRs held by me even in the event of my death. I am giving this  
declaration out of own volition and free will, without any under influence or duress  
and this nomination shall be final unless it is revoked by me in future by nominating  
another person.

Signature

[FN 1/23/2013-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.